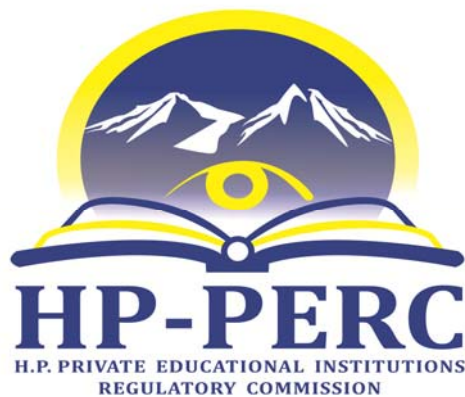


ANNUAL REPORT

2019-20



H.P. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS REGULATORY COMMISSION

**Happy Nest Building, Below BCS, Kagnadhar,
Phase-III, Shimla-171009
(Website: www.hp.gov.in/hpperc)**

CONTENTS

SL. NO	TITLE	PAGES
1	INTRODUCTION AND MANDATE	1-2
2	ORGANISATION OF THE COMMISSION	3-4
3	ROLE AND RESPONSIBILITIES	5-6
4	IMPLEMENTATION OF THE ACT	7-19
5	STATUS OF LEGAL CASES AND PENALTIES IMPOSED	20-25
6	FINANCIAL STATUS	26-27
7	ANNEXURE-A	28

CHAPTER-1

INTRODUCTION AND MANDATE :

The Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission (HPPEREC) was established by the Govt. of Himachal Pradesh under Section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 (Act No. 15 of 2011) for the purpose of providing a regulatory mechanism in the State and for working as an interface between the State Government and Central Regulatory Bodies to ensure appropriate standards of admission, teaching, examination, research, extension programmes and protection of interest of students of the private higher educational institutions in the State. The Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Rules, 2011 covers various operational aspects for implementation of the Act such as terms and conditions of services, directive powers, operation of funds, penalties, etc. The provisions of this Act or Rules or Orders made thereunder, shall have overriding effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

The Regulatory Commission has been working as a facilitator and regulator with these private institutions in order to improve quality of education and constantly interacting with the stakeholders regarding streamlining the process and building a vision for private higher education in the State. With constant persuasion the State private universities have improved transparency and brought information on approved courses / fees, students enrolment, faculty, infrastructure, academic regulations, course curricula, etc. in the public domain through their websites.

The following legislations, rules and regulations are significant and worth mentioning here in context to the role and functions of the Regulatory Commission:—

- Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010.—The Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the sixty-first year of the Republic of India promulgated this legislation which provides for establishment of the Regulatory Commission and Regulatory mechanism in the State for the purpose of ensuring appropriate standards of admission, teaching, examination, research and protection of interest of students in the private higher educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto;
- University Grants Commission Act, 1956 and Rules & Regulations made there- under.
- UGC (Establishment and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003.
- UGC (Minimum Standards and Procedure for award of M.Phil/Ph.D Degrees) Regulation, 2009.

- All India Council for Technical Education Act, 1987 and Rules & Regulations made thereunder.
- Other State/Central Regulatory Bodies Acts/Rules/Regulations providing standards and norms, which have bearing on the quality of higher education.

VISION FOR HIGHER EDUCATION.—The Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission envisages its role as a facilitator and partner with Government, Central regulatory bodies and institutions for quality higher education with the following Vision:—

“To make Himachal Pradesh a recognized hub and a preferred choice of students for Quality Higher Education”.

CORE VALUES.—In order to meet the Vision for higher education within the framework of legislations, the Regulatory Commission commits itself and sets forth the following Core Values:—

- 100% commitment to Higher Education quality
 - Transparency
 - Integrity
-

CHAPTER-2

ORGANIZATION OF THE COMMISSION :

Constitution of the Commission.— Dr. K. K. Katoch was appointed Chairman of the Commission by the Government of Himachal Pradesh *vide* notification No. EDN-A-Ka(3)-12/2009-L dated 28th June, 2017 for a period of three years from the date of his joining as such or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier and he joined on 30-06-2017. Similarly, Dr. S. P. Katyal, was also appointed Member of the Commission by the Government of Himachal Pradesh *vide* notification No. EDN-A-Ka(3)-12/2009-L dated 28th June, 2017 for a period of three years from the date of his joining as such or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier and he also joined on 30-06-2017. The incumbency of Chairman and Members of the Commission during 2019-20 is as under:—

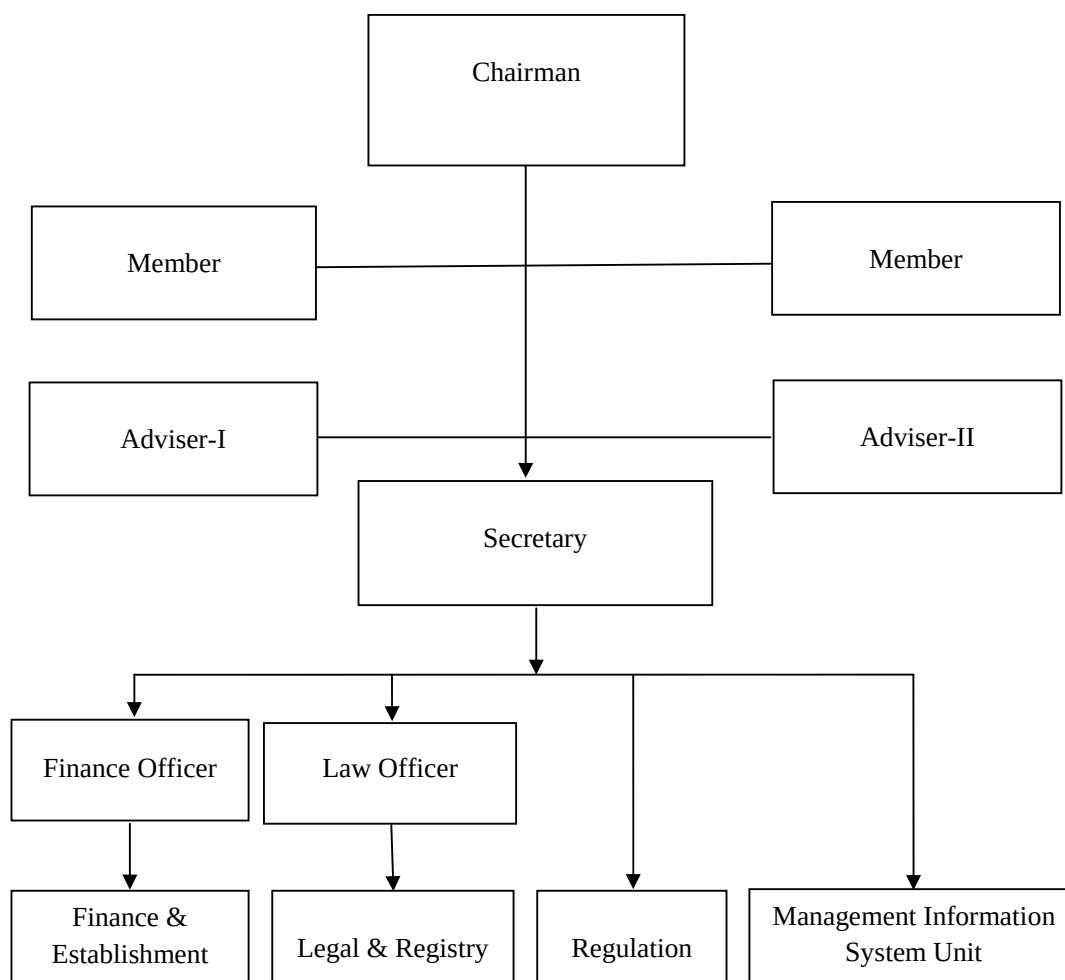
Sl. No.	Designation	Name of Officer	Period	
1.	Chairman	Dr. K. K. Katoch	01-04-2019	31-03-2020
2.	Member	Dr. S. P. Katyal	01-04-2019	31-03-2020
3.	Member	Vacant	01-04-2019	31-03-2020

Staff of the Commission.—The Government of Himachal Pradesh has initially sanctioned 28 different categories of post(s) in the Commission *vide* Notification No. EDN-A-Ka(3)-12/2009 dated 20-07-2011, Letter No. EDN-A-Ka(3)-12/2009 dated 13-01-2012, Letter No. EDN-A-Ka(3)-12/2009 25-8-2012 and Letter No. dated EDN-A-Ka(3)-12/2009- Loose-1, dated 30-3-2013. The staff in-position against the sanctioned strength as on 31-03-2019 is given at **Annexure-I** and detail as under:—

Sl. No.	Category of Posts	Sanctioned	Filled-up	Vacant (as on 31-03-2020)
1.	Chairman	1	1	0
2.	Member	2	1	1
3.	Secretary	1	1	0
4.	Adviser	2	0	2
5.	Law Officer	1	0	1
6.	Finance Officer	1	1	0

7.	Private Secretary	1	0	1
8.	Personal Assistants	2	0	2
9.	Programmer	1	1	0
10.	Senior Assistants	2	1	1
11.	Clerk	1	1	0
12.	Steno Typist	1	1	0
13.	Junior Office Assistant	3	3	0
14.	Driver	3	3	0
15.	Class-IV	5	2	3
16.	Chowkidar	1	1	0
	Total	28	19	9

The Organisational structure of the Commission:—



CHAPTER-3

ROLE AND RESPONSIBILITIES :

Powers and functions of the Commission.—The H. P. Private Educational Institutions Regulatory Commission has been constituted to discharge the following functions under the Act:—

- (1) It shall be the duty of the Commission to ensure that standards of admission, teaching, examination, research, extension programme, qualified teachers and infrastructure, are being maintained by the Private Educational Institutions in accordance with the guidelines issued by the Regulatory Bodies of the Central Government or the State Government from time to time. In case of failure of the Educational Institutions to meet the standards laid down, the Commission shall have the power to penalize the Educational Institutions under section 11 of the Act and in case of successive failure of an Institution to meet the standards, the Commission may recommend to the State Government/Regulatory Body for winding up of the Institution.
- (2) The Commission shall ensure that the admissions in the Private Educational Institutions are based on merit achieved in National Common Entrance Tests or the State Common Entrance Tests or any other test as notified by the State Government and where there is no National Level Common Entrance Test or State Level Common Entrance Test or any other test, the merit shall be determined strictly on the basis of the marks obtained in the qualifying examination and notifications on this behalf issued by the State Govt. from time to time.
- (3) The Commission shall devise an appropriate mechanism for receipt and redressal of grievances of students and parents, and direct the private institutions to set-up a proper Grievances Redressal Mechanism for redressal of complaints reported to the Commission. Such complaints shall be addressed within the time fixed by the Commission with details of the steps taken by the institution to redress such complaints.
- (4) The Commission shall have power to conduct inspections of Private Educational Institutions as and when required and for which committee of experts may be constituted at Commission level.
- (5) The Commission shall have the power to monitor and regulate fees in Private Educational Institutions.

Procedure and Powers of the Commission:

- (1) The Commission shall, for the purposes of any inquiry or proceedings under this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters:—
 - (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him/her on oath;
 - (b) discovery and production of any document or other material object producible as evidence;
 - (c) receiving evidence on affidavits;
 - (d) requisitioning of any public record;
 - (e) issuing summons for the examination of witnesses;
 - (f) reviewing its decisions, directions and orders;
 - (g) any other matter which may be prescribed.
- (2) The Commission shall have the powers to pass such interim order(s) in any proceeding, hearing or matter as the Commission may consider appropriate.
- (3) The Commission may authorize any person, as it deems fit, to represent the interest of the students and parents in the proceedings before it.
- (4) All disputes under this Act shall be decided summarily in accordance with the provisions of Order XXXVII of the Code of Civil Procedure, 1908.

Penalties:

- (1) The Commission may, for the contravention of any of the provision of this Act or the rules or regulations made there under, or directions issued by the Commission, impose penalty, in such manner as may be prescribed, but not exceeding one crore rupees:
Provided that the maximum penalty for a second or subsequent contravention shall be five crore rupees;
Provided further, that no penalty shall be imposed unless the institution concerned is given an opportunity of being heard.
- (2) The penalty imposed under sub-section (1) shall be recoverable from the endowment fund or any other Fund or as arrear of land revenue from the Educational Institution concerned.

While exercising power and discharging its duties, the Regulatory Commission ensures utmost transparency and accountability in its functioning.

CHAPTER-4

IMPLEMENTATION OF THE ACT :

The Regulatory Commission with the aim to achieve the objectives and in the pursuit of discharge of its functions under section 9 of the H. P. Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 took several initiatives for implementations of various regulatory provisions in the private higher educational institutions of the State. The Regulatory Commission covers all the private educational institutions in the State viz., Universities, Degree Colleges, Professional Colleges of Education, Institutes of Technical Education, Management, Law, Engineering, Medical, Pharmacy, Paramedical Institutions and Centre of Excellence or any other educational institutions of higher learning above 10+2 standard, except schools affiliated to any recognised Board of School Education. There are about 266 institutions of higher education under the jurisdiction of Regulatory Commission in the State including 17 Private Universities. Geographical distribution of private higher educational institutions in the State is as under:-

As on 31-03-2020

District	Univ.	Engn. College	Mgmt. College	MCA	Pharmacy	Degree College	GNM & B.Sc. Nursing	B.Ed. & M.Ed.	Bio Sciences	Dental	Homeopathy	Law	Sanskrit	Total
Shimla	1	0	0	0	0	5	7	9	2	0	0	1	3	28
Chamba	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	1	7
Kangra	2	3	1	0	1	15	8	15	0	0	0	2	3	50
Hamirpur	1	1	1	0	2	8	2	9	1	0	0	1	1	27
Mandi	1	2	0	0	3	6	14	14	1	1	0	0	0	42
Sirmaur	1	3	1	1	2	4	3	4	1	1	0	2	0	23
Una	1	2	1	0	2	9	2	5	2	0	0	1	2	27
Bilaspur	0	1	0	0	1	1	1	3	1	0	0	1	3	12
Solan	10	1	0	0	2	7	5	8	2	2	1	1	1	40
Kinnaur	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
L & Spiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kullu	0	0	0	0	1	1	3	2	0	0	0	0	2	9
Total	17	13	4	1	14	57	48	72	10	4	1	9	16	266

To improve education standards and implementation of regulatory norms in the institutions of higher education, the H. P. Private Educational Institutions Regulatory Commission has taken following initiatives during the year 2019-20:—

1. Course Approvals and Academic Review:

The Govt. of Himachal Pradesh introduced an amendment in the State Private Universities Act in May, 2012 to make the HP-PERC responsible for course approvals. It also prescribed a time schedule for such approvals making it mandatory by 31 December of each year. To ascertain the status of courses offered by the State private universities vis-à-vis approvals, detailed academic review was undertaken by the Commission and action was initiated against the institutions having any shortfall in faculty, infrastructure etc. Besides, in pursuit to bring transparency and accountability in the functioning of the Universities, after constant persuasion and reviews, the Regulatory Commission brought all information on approved courses/fees, students enrolled, faculty, infrastructure, academic regulations, course curriculum, degree awarded etc. in the public domain through their websites having links on HP-PERC's website.

During the academic session 2019-20, Seventeen State Private Universities offered Degrees/Diploma/Under Graduate/Post Graduate/Research programmes as per the following details:—

Sr. No.	Academic Programmes	Total
1.	Under Graduate Courses	114
2.	Post Graduate Courses	91
3.	Research Programmes	60
4.	Other Diploma/Vocational Course(s)	27
Overall status		292

The running of the existing as well as new courses were offered subject to the following terms and conditions:

- (1) The approval for courses is on the specific condition that faculty and physical academic infrastructure must be in place by May 30, 2019 to be confirmed by the University to the Commission followed by verification by the Inspection Committee failing which the approval of courses where faculty and infrastructure will be found deficient shall be deemed as withdrawn and no future correspondence in this regard will be entertained.
- (2) The University shall indicate the following in its prospectus for the information of the students, general public and State Govt.:
 - (a) Names and academic bio-data of faculty available for each course.

- (b) Physical academic infrastructure must find mention in the prospectus.
- (c) Course wise seats approved indicating the seats reserved for the scheduled caste/scheduled tribe/ physically handicapped and Himachali candidates.
- (d) Seats wherein available under lateral entry be mentioned specifically.
- (e) Approved fee structure for each course.
- (f) Scholarship scheme(s), if any.
- (g) Duration of each course and course structure.
- (h) Admission criteria for each course.
- (i) HP-PERC introductory notice.

The university shall be required to supply a copy of the Prospectus to the Commission/State Govt. before it starts issuing the same for the academic session 2019-20. The above information should also be up-loaded on the website of the University indicating the details of faculty along with their photos and bio-data. The information regarding admission disclosure, examinations schedule, students passed out, faculty and academic infrastructure etc must be furnished from time to time to the Regulatory Commission in the manner as required.

- (3) Any approval, if required from any Central/ State Regulatory body/ Centre/ State Govt. as indicated in the remarks mentioned above or otherwise required, be provided to this Commission latest by May 30, 2019 failing which the said course and programmes shall be deemed as withdrawn.
- (4) In case the University is of the opinion that it is unable to run any course due to deficient faculty or otherwise but not in violation of the rules and regulations pertaining to previous years granted courses, the same shall be intimated to the Commission by May 30, 2019. Course(s) once started shall have to be run for at least three years continuously and the university shall ensure the availability of full faculty strength and physical academic infrastructure as per approved intake as per norms for the course(s).
- (5) The eligibility and admission criteria for admission to the above courses shall be as prescribed by the concerned Regulatory Bodies and the State Government. Admission through migration mode in the first year not meeting the eligibility criteria shall be treated as invalid and subject to penal action as per HPPEREC Rules, 2011.

- (6) Admission of foreign students be regulated as per AICTE Notification No.F.37-3/Legal/2004 dated 21.01.2004 circulated to All State Private Universities vide Commission letter No. HPPERC/55/General Complaints/2012-704 to 719 dated 07.08.2014.
- (7) Admission on the basis of test conducted by H-PUMA shall not be allowed at all.
- (8) AICTE guidelines regarding admission under lateral entry be followed in letter and spirit.
- (9) Where University has dropped/ closed programme/ proposed zero intake / break in Extension of approval be obtained for closure of the programme from AICTE in terms of Section 1.6 of the Approval Process Hand Book 2019-20 or as directed in the latest edition of the Approval Process Hand Book.
- (10) UGC guidelines regarding providing 3 % reservation in all courses to the persons with disabilities circulated vide this office letter No. HPPERC/73/Notification/2012-952 to 967 dated 08.09.2014 be also followed meticulously.
- (11) Any admissions, made in violation of the prescribed norms shall be invalid and will attract provisions contained in HP-PERC Act, 2010 and Rules framed there under. The inference of this may also be incorporated in the Prospectus of the University so as to avoid any complication at a later stage.
- (12) The University to get fee approved from the State Government including hostel charges, convocation participation charges, and fee to be charged for in absentia degree etc. as per statutory requirements. A copy of such proposal should invariable be sent to the Commission.
- (13) The University shall comply with “Mandatory Assessment and Accreditation of Higher Education Institutions” Regulations 2012
- (14) In case of Research Degree (Masters and Doctoral) Programmes roster for allotment of students to supervisor must be followed and number be adhered to as per UGC guidelines.

- (15) The University shall strictly comply with the UGC (Establishment and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003 and engage faculty as per the norms fixed by the regulatory bodies viz. UGC, AICTE, BCI, MCI, PCI, NCI, CCIM, AYUSH etc. The University shall observe all the standards of instructions and prescribed norms for the running of a course/ programme/ grant of degree which shall be imparted by a duly qualified teaching staff and appropriate academic physical infrastructure facilities as prescribed.
- (16) The University shall ensure submission of requisite information to the UGC as required under Sections 3.7 & 3.8 of U.G.C. (Establishment and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003 which inter-alia requires sending of intimation to the U.G.C, six months prior to starting of a new course. Where the U.G.C. inspection is overdue, the University shall ensure submission of requisite information to the U.G.C. in the prescribed format at the earliest so that inspection could take place.
- (17) If, any course(s)/ degree(s)/ programme(s) is being run or is/ are to be run by the University which has/ have not been approved by the UGC/ other regulatory bodies, the same shall be liable for cancellation without any notice and no future correspondence in this regard will be entertained.
- (18) If any information provided is found incorrect at any stage or the assurances provided regarding meeting the norms of faculty and infrastructure in respect of all approved courses is not fulfilled or in the event of violation of standards of admission, charging of excess fees than approved or indulging in practices which are not in conformity with the prescribed regulations, the Regulatory Commission reserves the right to withdraw the approval and take such action, as it may deem fit.
- (19) All the Government norms in all respects be followed in letter and spirit.
- (20) Approvals in respect of the existing para-medical courses are subject to the outcome of CPW No. 2013 of 2018- Maharishi Markandeshwar University vs State of H.P & Others.
- (21) Schedule notified by the HP-PERC vide its letter No HPPER/ 484/CA 2019-20-4578 TO 594 Dated 07/09/21 adhered to in letter and spirit.

The status of Course(s) offered by each State Private University vis-à-vis students enrolment during academic session 2019-20 was as under:—

Sr. No.	Name of University	Seats approved		Enrolled Students				Total Enrolled Students
		Engg.	Others	Engg.	MIG & LE	Others	MIG & LE	
1.	APG University, Shimla	528	1548	236	32	616	2	886
2.	Abhilashi University, Mandi	60	946	10	0	426	5	441
3.	Maharaja Agrasen University	371	1561	76	14	725	6	821
4.	Arni University, Kangra	388	1263	35	15	187	0	237
5.	Baddi University, Solan	492	889	101	10	423	4	538
6.	Bahara University, Solan	312	938	72	11	355	0	438
7.	Career Point University, Hamirpur	239	2184	68	7	772	43	890
8.	Chitkara University, Solan	651	505	443	22	233	0	698
9.	Eternal University, Baru Sahib	173	1276	8	0	417	0	425
10.	IEC University, Solan	306	2010	153	11	1091	2	1257
11.	Indus International University, Una	234	727	52	2	139	9	202
12.	Jay Pee University, Solan	4	0	482	16	0	0	498
13.	Manav Bharti University, Solan	0	1160	0	0	545	6	551
14.	MM University, Solan	0	696	306	0	7	0	313
15.	Shoolini University, Solan	570	2199	360	21	1241	6	1628
16.	Sri Sai University, Palampur	240	1169	26	10	280	6	322
17.	ICFAI University, Solan	240	726	4	1	215	0	220
	Total	4808	19797	2432	172	7672	89	10365

2. Admission Norm:

The H. P. Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 provides that the admissions in the Private Educational Institutions are based on merit achieved in the relevant National Common Entrance Test or the State Common Entrance Test or any other test as notified by the State Government and where there is no National Level Common Entrance Test or State Level Common Entrance Test or any other test, the merit shall be determined strictly on the basis of the marks obtained in the qualifying examination. Therefore, in order to regulate admission norms especially in technical and professional courses and with a view to adopt transparent and uniform admission process in the State, duration and entry level qualification for all technical and professional courses not to be less than the prescribed regulatory norms and each university was directed to notify this requirement in advance on their website and prospectus for the ensuing academic session.

3. Uniform Academic Calendar:

The Regulatory Commission has ensured that institutions follow a uniform academic calendar as per UGC norms (90 teaching days per semester) with the semester duration July to December and January to June, which was adopted after a due consultative process and collection of fees in two equal instalments at the beginning of each semester for all the private universities in the State and streamlined the process and prescribed timeline for advance approval of course/fees before commencement of academic session.

4. Grievance Redressal:

The Grievance Redressal of students and parents is one of the vital functions of the Regulatory Commission. In this regard, the Commission has established/put in place the Grievance Redressal Mechanism and also issues public notices through print media from time to time for general awareness.

Besides, notice board(s) have also been placed in every institution for information and awareness of students and parents. In addition, the Regulatory Commission has also developed an application for online receipt of grievances, where the grievances can be registered / submitted on-line and after taking appropriate action as per provision of Act and Rules, applicants are informed accordingly and they are not required to visit the office. The Regulatory Commission has ordered refund of amounting to **Rs. 11,85,203/-** during the year

2019-20 for violation of norms by the different private institutions after investigation and redressal of grievances received from the parents and students. Detail is as under:—

2019-20					
	Name of Complainant	Nature of Complaint/ Violation	Name of Institution	Amount Refunded	Date of refund
1.	Vijay Kumar	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	09.04.2019
2.	Sahil Baritya	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	09.02.2019
3.	Tarun Rana	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	09.04.2019
4.	Anmol Nag	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	09.04.2019
5.	Atul Bhaita	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	09.04.2019
6.	Anju Guleria	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	09.04.2019
7.	Ritesh Sharma	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	09.04.2019
8.	Karan Kumar	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	09.04.2019
9.	Aniket Thakur	Regarding refund of security	Bahra University	5,000	14.02.2019
10.	Robin Sharma	Regarding refund of security	Green Hills Engg. College Kumarhatti,	4000	27.02.2019
11.	Ms. Priyanka patial	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	24.04.2019
12.	Ms Swati Singh	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	24.04.2019
13.	Ms. Kiran Kumari	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	24.04.2019
14.	Ms Meenal Thakur	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	24.04.2019
15.	Sh. Mohit Dogra	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	24.04.2019
16.	Sh. Vinay Kumar	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	24.04.2019
17.	Gaurav Sharma	Indus International University	Complaint against Indus International University	1,62,827/-	11.06.2019
18.	Sh. Ashutosh Nagi	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	21.06.2019
19.	Anchal Sharma	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	21.06.2019
20.	Ankush Sharma	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	21.06.2019
21.	Chirag Kashmiri	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	21.06.2019
22.	Aakash Bhagatia	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	23.05.2019
23.	Rajesh Kumar	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	21.06.2019
24.	Arpana	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	21.06.2019
25.	Nikita Sharma	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	23.05.2019
26.	Sanjay Kumar	Regarding refund of security	Bahra University	5,000	28.06.2019

27.	Ajay Thakur	Pending salary	KC Polytechnic College	13,600	19.06.2019
28.	Santosh Kumar	Regarding refund of security	Bahra University	5,000	28.06.2019
29.	Pravesh Kumar	Regarding excess fees charged by Bahra University	Bahra University	8577	28.06.2019
30.	Sulakshana Thakur	Regarding refund of security	Sri sai University	10,000	19.09.2019
31.	Nishant Guleria	Regarding security withdrawal and behaviour of their finance department	Bahra University	5000	28.06.2019
32.	Shivani Thakur	Regarding refund of security	Bahra	7000	28.06.2019
33.	Pankaj Sharma	Regarding refund of security	Sri sai University	10,000	19.09.2019
34.	Rashmi Singh	Complaint regarding refund of security and deducting security amount without any reason	Bahra Univeristy	6,600	28.06.2019
35.	Sachin Goswami	Regarding refund of security	Sri sai university	10,000	21.06.2019
36.	Bhavana Sharma	Regarding refund of security	Bahra University	6500	28.06.2019
37.	Navita Sharma	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	21.06.2019
38.	Shubham Padda	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	21.06.2019
39.	Shubham patail	Regarding refund of security	Sri Sai University	9,500	21.06.2019
40.	Priya	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	21.06.2019
41.	Sandesh Shah	Regarding refund of security	Bahra University	10,000	28.06.2019
42.	Lal Singh Thakur	Regarding non releasing of security	Sri Sai University	10,000	19.09.2019
43.	Manisha Sharma	Refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019
44.	Ankit vyas	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019
45.	Pankaj Vyas	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	19.09.2019
46.	Manish Pathania	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019
47.	Navdeep Guleria	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019
48.	Dushyant Singh	Regarding refund of security	Green hills Engg. College	4000	15.11.2019
49.	Deepanshu Dogra	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019
50.	Nikhil Sngha	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019
51.	Rohit Chanel	Regarding refund of security	Sri sai University	7,625	15.11.2019
52.	Sangeeta Thakur	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019
53.	Rishi Gautam	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019
54.	Shubham Dogra	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019

55.	Gurmit Singh	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019
56.	Priya Chaudhary	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019
57.	Sandeep Koti	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019
58.	Neha Sharma	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019
59.	Shivani Pathania	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019
60.	Anshul Chandel	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019
61.	Rammarti	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019
62.	Shivani Chaudhary	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019
63.	Ajay rajput	Regarding refund of security	Green Hills Engg. College	2000	15.11.2019
64.	Anil Kumar	Regarding refund of security	Green Hill Engg. College	4000	28.08.2019
65.	Nikhil Sharma	Regarding refund of security	Green Hill Engg. College	4000	28.08.2019
66.	Parkash Dogra	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019
67.	Neha Anand	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019
68.	Nikhil Chauhan	Regarding refund of security	Green Hill Engg. College	4000	18.08.2019
69.	Kanika Goel	Regarding refund of security	Green Hill Engg. College	2000	18.08.2019
70.	Munish Sharma	Regarding refund of security	Green Hill Engg. College	4000	18.08.2019
71.	Naresh Kumar	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	15.11.2019
72.	Aditya Kaushal	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	19.11.2019
73.	Bharat Bhushan	Regarding pending salary	Indus International university	1,85,099	30.12.2019
74.	Aakash Maurya	Request regarding refund of security	Solan Homeopathy medical college	1,56,875	02.12.2019
75.	Jagdew Singh Raitka	Security refund	Eternal University	8000	04.12.2019
76.	Vickey Bhardwaj	Regarding refundable security fee	Sri Sai University	10,000	06.02.2020
77.	Varun Pathania	Regarding refund of security	Sri Sai University	10,000	20.02.2019
78.	Shailja Sharma	Regarding refund of security	Bahra University	7000	12.12.2019
79.	Diksha Sharma	Regarding refund of security	Bahra University	7000	12.12.2019
80.	Mamta Mehta	Regarding refund of security	Bahra University	5000	12.12.2019
81.	Anshul Dhiman	Regarding refund of security	Green Hills engg. College	6000	18.11.2019

5. Financing of Commission:

The Regulatory Commission has been envisioned as a self financing regulatory body. Therefore, in exercise of the powers conferred under Section 8(a) of the H. P. Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010, the Commission had notified regulation for levy of 1% of the total fees (except refundable securities) received by the private higher educational institutions in the State every year to be credited into the fund established by the Regulatory Commission for meeting expenses required in connection with the discharge of its functions under section 9 of the H.P. Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 and also for meeting objects and the purposes authorised by the Act. However, matter being sub-judice in the Hon'ble Supreme Court of India, the implementation of Section 8(a) of the H.P. Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 dealing with the funds of the Regulatory Commission has been kept in abeyance. Hence, to meet out the various expenditure of the Commission, amount in shape of loan is being received from the State Government in every year. During the financial year 2019-20, the Commission received an amount of Rs. 1.00 crore only in shape of loan on 17.01.2020 from the State Govt.

6. Inspections:

In order to ascertain the standards of admission, teaching, examination, research, faculty and infrastructure being maintained by the institutions in accordance with the Central/State Regulatory bodies norms and/or guidelines issued by the Central/State Government and compliance of statutory provisions as per Act/Statutes of the University from time to time; the Regulatory Commission under section 9(4) of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010, had notified the 'Inspection Schedule' for Private Higher Educational Institutions in the State to be conducted by the Commission either itself or through 'Expert Committees' constituted for the purpose from time to time. In this regard, following inspections have been conducted by the Regulatory Commission during 2019-20:

Sr. No.	Name of University	Date of Inspection
1.	APG Shimla University	11/07/2019 &12/07/2019
2.	Bahra University	15/07/2019 &16/07/2019

7. Implementation of RTI Act, 2005:

For implementation of the Right to Information Act, 2005, following Public Information Officers and Appellate Authorities worked from time to time and during 2019-20.

Period	Name	Designation	Telephone No.
			Office
	Appellate Authority		
01.04.2019 to 13.08.2019	Sh. S. D. Negi	Secretary	0177-2673663
14.08.2019 to 27.11.2019	Mrs. Poonam	Secretary	0177-2673663
28.11.2019 to 19.02.2020	Dr. K.K Katoch	Chairman	0177-2673665
20.02.2020 to 31.03.2020	Mrs. Poonam	Secretary	0177-2673663
	Public Information Officer		
01-04-2019 to 31-03-2019	Sh. Vikas Verma	Finance Officer	0177-2673664
	Assistant Public Information Officer/ Nodal Officer		
01-04-2019 to 27-11-2019	Sh. Amit Katoch	Senior Assistant	0177-2673664
28-11-2019 to 31-03-2020	Kumari Lata	Junior Office Assistant	0177-2673664

The status of applications received for obtaining information under Right to Information Act, 2005 during the year 2019-20 is as under:—

No. of applications received	Replied	Transferred	Appeal
69	55	14	12

8. Presentation by Universities on Course Approval:

During the year 2019-20, all State Private Universities were asked to submit proposals for course approvals by 15.11.2018 and make Power Point Presentation in respect of courses required by each one of them for Academic Session 2019-20 and the same were conducted on following dates:

Sr. No.	Name of University	Date of Presentation
1.	Abhilashi University	04.12.2018
2.	APG University	04.12.2018
3.	Baddi University	05.12.2018
4.	ICFAI University	05.12.2018
5.	Bahra University	07.12.2018
6.	Career Point University	07.12.2018
7.	Chitkara University	10.12.2018
8.	Arni University	10.12.2018
9.	IEC University	13.12.2018

10.	Indus International University	13.12.2018
11.	Maharishi Markandeshwar University	14.12.2018
12.	Maharaja Agrasen University	15.12.2018
13.	Manav Bharti University	15.12.2018
14.	Shoolini University	18.12.2018
15.	Sri Sai University	18.12.2018
16.	Eternal University	11.12.2018

Course approval was accorded on the basis of presentation, discussions, analysing and fulfilment of requisite norms/nomenclature as per guidelines of UGC/AICTE or the concerned affiliating body.

CHAPTER-5

STATUS OF LEGAL CASES & PENALTIES IMPOSED :

During the year 2019-20, the Regulatory Commission instituted the following proceedings for major violations under section 11 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 which provides for imposition of penalties for contravention of the provisions of the Act, Rules and regulations made there under. Rule 6 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Rules, 2011 lays down the minimum and maximum limit of the penalty to be imposed under section 11 of the Act No. 15 of 2011.

1. Status of the cases instituted/decided by the Commission during the year 2019-20 was as under:—

Sr. No.	Case No./ Date of Registration	Petitioner	Respondent	Title of the case	Status (Decided/ Pending)	Date of Decision
1.	9 of 2018 02.05.2018	Ajay Kumar S/O Sh. Piar Chand, Village Ghumarli, Post office Dho Tehsil Bhoraj, Hamirpur	C.P Sharma Pt. Gauri Shankar Memorial Polytechnic, MDR 11, Arki, Solan (HP) 173208	Ajay Kumar Versus C.P Sharma Owner of Pt. Gauri Shankar Memorial, Polytechnic Solan.	Decided	04.04.2019
2.	17 of 2018 08.11.2018	Ms. Swati, D/O Sh. Jai Pal r/o Village Hat Kot Kunihar, Tehsil Arki, Solan (H.P) 173207	Green Hills Engineering College, Nahan Road, Gandhinagar Kumarhatti, P.O. Baholi Solan (HP)-173229	Ms Swati Vs. Green Hills Engineering College	Decided	05.04.2019
3.	18 of 2018 03.12.2018	Ms. Deepshikha and others	Bells Institute of Management and Technology Mehli Shimla	Ms. Deepshikha and others Versus Bells Institute of Management and Technology, Mehli Shimla	Decided	05.04.2019
4.	5 of 2019 04.04.2019	Amit Kanwar	Arni University	Amit Kanwar Versus Arni University,	Decided	30.04.2019
5.	6 of 2019 04.04.2019	Bhupinder Singh	Arni University	Bhupinder Singh Versus Arni university	Decided	30.04.2019
6.	7 of 2019 04.04.2019	Sandeep	Arni University	Sandeep Versus Arni University	Decided	30.04.2019

7.	8 of 2019 04.04.2019	Kiran	Arni universsity	Kiran Versus Arni University	Decided	30.04.2019
8.	9 of 2019 04.04.2019	Harjit Singh	Arni University	Harjit Singh Versus Arni University	Decided	30.04.2019
9.	10 of 2019 04.04.19	Onkar Singh	Arni University	Onkar Singh Versus Arni university	Decided	30.04.2019
10.	11 of 2019 04.04.2019	Nishant	Arni University	Nishant Versus Arni University	Decided	30.04.2019
11.	12 of 2019 04.04.19	Nitin Mahajan	Arni University	Nitin Mahajan Versus Arni University	Decided	30.04.2019
12.	13 of 2019 04.04.2019	Raman Lata Gill	Arni university	Raman Lata Gill Versus Arni University	Decided	06.05.2019
13.	14 of 2019 04.04.2019	Surinder Paul	Arni University	Surinder Paul Versus Arni University	Decided	30.04.2019
14.	15 of 2019 04.04.2019	Manmohan	Arni Univeristy	Manmohan Versus Arni University	Decided	30.04.2019
15.	16 of 2019 13.05.2019	Vikas Sharma	Arni University	Vikas Sharma & Others Versus Arni University	Pending	--
16.	1 of 2019 18.01.2019	Suo-Moto	APG Shimla University	Commission on its own motion V/S APG Shimla	Decided	21.06.2019
17.	17 of 2019 13.05.2019	Harish Banga	Indus International University	Harish Banga Versus Indus International University	Decided	31.08.2019
18.	18 of 2019 07.06.2019	Gaurav Dubey	APG Shimla University	Gaurav Dubey Versus APG Shimla University	Decided	18.10.2019
19.	19 of 2019 24.06.2019	Nandini Sharma	Eternal University	Nandini Sharma Versus Eternal University	Decided	23.09.2019
20.	20 of 2019 24.06.2019	Anshul Chamotra	Shoolini University	Anshul Chamotra Versus Shoolini University	Decided	23.09.2019
21.	21 of 2019 03.07.2019	Private Medical Dental College Students Parents Association	MMU Solan	Private Medical Dental College Students Parents Associations Versus MMU Solan	Pending	-
22.	22 of 2019 03.07.2019	Alka Kataria & Others	MMU Solan	Alka Kataria & Others Versus MMU Solan	Pending	--

23.	22 (A) of 2019 03.07.2019	Saloni Singh	MMU Solan	Saloni Singh Versus MMU Solan	Pending	--
24.	23 of 2019 25.07.2019	Varun Sharma & Others	MNDV Dental College Solan	Varun Sharma & Others Versus MNDV Dental College Solan	Decided	23.09.2019
25.	15 of 2018 24.09.2018	Ms. Sushmita D/O Yoginder Singh House No. 185, Second Floor Preet Vihar Sunny Side Distt Solan 173212	Word Hub Airhostess institute Above PC Jewellers, Near DC Office, Rajgarh Road, Solan (HP)-17321	Ms. Sushmita and Others Vs. World Hub Airhostess Institute	Decided	30.09.2019
26.	24 of 2019 06.09.2019	Ankush Sharma	Bahra university	Ankush Sharma Versus Bahra University	Decided	01.10.2019
27.	2 of 2019 26.02.2019	Bells Institute of Management & Technology Mehli Shimla	Sh.Rakesh Bhandari f/o Mr. Abhinav Bhandari, 41-E Sarabha Nager, Ludhiana	Abhinav Bhandari Vs. Bells Institute of Management & Technology Mehli	Decided	21.01.2020
28.	25 of 2019 21.09.2019	Suo Moto	Indus International University	Suo Moto Indus International University	Decided	14.02.2020
29.	6 of 2018 22.03.2018	Dr Sanjay Saxena	Indus International University	Dr Sanjay Saxena v/s Indus International University	Decided	14.02.2020
30.	7 of 2018 29.03.2018	Nitina Kumar Priyanka , Tanuja, Kamini, Neena Varusn Ankush, Shivani Ojasvi Harish	Sri Sai University Palampur, Kangra	Nitin Kumar and other v/s Sri Sai University	Decided	14.02.2020
31.	26 of 2019 23.09.2019	S C Verma	Arni University	Sc Verma Versus Arni University	Pending	-
32.	27 of 2019 23.09.2019	Vijayta Sharma	Arni University	Vijayta Shurma Versus Arni University	Pending	-
33.	28 of 2019 24.10.2019	Puja Thakur	Arni University	Puja Thakur Versus Arni University	Pending	-
34.	29 of 2019 24.10.2019	Vikas Sharmas	Armi University	Vikas Sharma Versus Arni University	Pending	-
35.	30 of 2019 24.10.2019	Gurvinder Singh	Arni University	Gurvinder Singh Versus Arni University	Pending	-

36.	31 of 2019 24.10.2019	Deepali	Arni University	Vijay Kumar Versus Arni University	Pending	-
37.	32 of 2019 24.10.2019	Vijay Kumar	Ari Univeristy	Vijay Kumar Versus Arni University	Pending	-
38.	33 of 2019 24.10.2019	Narinder Kumar	Arni University	Narinder kumar Versus Arni University	Pending	-
39.	34 of 2019 24.10.2019	Neety Kumari	Arni University	Neety Kumari Versus Arni University	Pending	-
40.	35 of 2019 24.10.2019	Novita Pathania	Arni University	Novita Pathania Versus Arni University	Pending	-
41.	36 of 2019 24.10.2019	Anuja Chauhan	Arni University	Anuja chauhan Versus Arni University	Pending	-
42.	37 of 2019 24.10.2019	Suo Moto	ICFAI University	Suo Moto Versus ICFAI University	Decided	10.12.2019
43.	38 of 2019 11.11.2019	Gaurav Dubey	APG Shimla University	Gaurav Dubey Versus APG Shimla University	Decided	06.02.2020
44.	39 of 2019 23.11.2019	Nitin Kumar	Bahra University	Nitin Kumar & Others Versus Bahra University	Decided	26.12.2019
45.	40 of 2019 17.12.2019	Suo Moto	Manav Bharti University	Suo Moto Versus Manav Bharti University	Decided	06.02.2020
46.	1 of 2020 15.02.2020	Suo Moto	Indus International University & Manav Bharti University	Suo Moto Versus Indus International University & Manav Bharti University	Decided	--
47.	2 of 2020 15.02.2020	Sandeep Dhiman & Others	Sri Sai University	Sandeep Dhiman & Others Versus Sri Sai University	Pending	-
48.	3 of 2020 21.03.2020	Shubham Thakur	APG Shimla University	Shubham Thakur Versus APG Shimla University	Pending	-

The status of Legal Cases in the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh is as under:—

Sl. No.	CWP No.	Petitioner	Respondent	Subject/Matter	Status
1.	CWP No. 873/2019	Shoolini University	HP-PERC	Against HP-PERC orders	Decided On 28/08/2019
2.	CWP No. 15/2019	Kiran Devi	State of H.P. & Others	Against Univ. salary/ Forceful removal	Decided On 27/02/2019
3.	CWP No. 16/2019	Manmohan	State of H.P. & others	Against Univ. salary/ Forceful removal	Decided On 27/02/2019
4.	CWP No. 17/2019	Raman Lata Gill	State of H.P. & Others	Against Univ. salary/ Forceful removal	Decided On 27/02/2019
5.	CWP No. 18/2019	Nishant	State of H.P. & Others	Against Univ. salary/ Forceful removal	Decided On 27/02/2019
6.	CWP No. 19/2019	Sandeep Salaria	State of H.P. and others	Against Univ. salary/ Forceful removal	Decided On 27/02/2019
7.	CWP No. 20/2019	Amit Kumar	State of H.P. and others	Against Univ. salary/ Forceful removal	Decided On 27/02/2019
8.	CWP No. 21/2019	Surinder Paul	State of H.P. and others	Against Univ. salary/ Forceful removal	Decided On 27/02/2019
9.	CWP No. 22/2019	Nitin Mahajan	State of H.P. and others	Against Univ. salary/ Forceful removal	Decided On 27/02/2019
10.	CWP No. 23/2019	Harjit Singh Kainth	State of H.P. and others	Against Univ. salary/ Forceful removal	Decided On 27/02/2019
11.	CWP No. 24/2019	Onkar Singb	State of H.P. and others	Against Univ. salary/ Forceful removal	Decided On 27/02/2019
12.	CWP No. 25/2019	Bhupinder Singh	State of H.P. and others	Against Univ. salary/ Forceful removal	Decided On 27/02/2019
13.	Civil Suit 200/19	Sunita	UGC and others	Again Univ./students	Pending
14.	CWP No. 1797/2019	Baddi University	UGC and others	Against HP-PERC orders	Pending
15.	CWP No. 1410/2019A	Ravikant Tiwari	UGC and others	Against Inst./students	Decided On 26/02/2020
16.	CWP No. 1813/2019	Dr. Nisha Sharma	Chairman, HP-PERC	Against Univ. salary/ Forceful removal	Pending
17.	CWP No. 1829/2019	Punit Sharma	Chairman, HP-PERC	Against Univ. salary/ Forceful removal	Pending
18.	CWP No. 1898/2019	Sarika Sharma	Chairman, HPPERC	Against Univ. salary/ Forceful removal	Pending
19.	CWP No. 1931/2019	Vikas Sharma	Chairman, HP-PERC	Against Univ. salary/ Forceful removal	Pending
20.	CWP No. 1965/2019	Vivek Dhiman	Chairman, HP-PERC	Against Univ. salary/ Forceful removal	Pending
21.	CWP No. 1966/2019	Balbinder Kumar	Chairman, HP-PERC	Against Univ. salary/ Forceful removal	Pending
22.	CWP No. 1967/2019	Anurag Rana	Chairman, HP-PERC	Against Univ. salary/ Forceful removal	Pending
23.	CWP No. 1968/2019	Chandni Sharma	Chairman, HP-PERC	Against Univ. salary/ Forceful removal	Pending
24.	CWP No. 1969/2019	Neha Mittal	Chairman, HP-PERC	Against Univ. salary/ Forceful removal	Pending
25.	CWP No. 1970/2019	Dr. Ekta	Chairman, HP-PERC	Against Univ. salary/ Forceful removal	Pending
26.	CWP No. 1996/2019	Anurag Rana	Chairman, HP-PERC	Against Univ. salary/ Forceful removal	Pending

27.	CWP No. 1997/2019	Dr. Nisha Sharma	Chairman, HP-PERC	Against Univ. salary/ Forceful removal	Pending
28.	CWP No. 1998/2019	Dr. Ekta	Chairman, HP-PERC	Against Univ. salary/ Forceful removal	Pending
29.	CWP No. 1999/2019	Surinder Paul	Chairman, HP-PERC	Against Univ. salary/ Forceful removal	Pending
30.	CWP No. 2000/2019	Nishant	Chairman, HP-PERC	Against Univ. salary/ Forceful removal	Pending
31.	CWP No. 2435/2019-D	Anu bala	HP-PERC	Against Univ. salary/ Forceful removal	Pending
32.	CWP No. 2001/2019	Nitin Mahajan	Arni University and others	Against Univ. salary/ Forceful removal	Pending
33.	CWP No. 2453/2019	Raman Kumar	Arni University and others	Against Univ. salary/ Forceful removal	Pending
34.	CWP No. 3573/2019	Amit Katoch & Others	State of H.P. & Others	Withdrawn	Decided On 06/01/2020

Penalties imposed.—During the year 2019-20, Arni University, Kathgarh, Distt.-Kangra was imposed a penalty of Rs. 3,30,000/- for involving this commission in unnecessary litigation for fault of said respondent University for not releasing salaries in time to its employees.

CHAPTER-6

FINANCIAL STATUS :

The Regulatory Commission was envisioned as a self financing body. Section 8(a) of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 provides for levy of maximum of 1% of the total fees collected by the private educational institutions for carrying out its various functions. This is apart from penalties. But the matter being subjudice and pending before the Hon'ble Supreme Court of India, levying of 1% of fees from Private Educational Institutions has been kept in abeyance till final outcome of the case.

The Govt. of Himachal Pradesh provided Rs. 70.00 lakhs as loan for its initial establishment during the year 2011-12. Since inception till date Rs. 7.70 crore has been received from the Govt. in shape of Loan from time to time in the absence of regular income by way of provision of the HP-PERC Act, 2010. The Annual Accounts of the Commission for the year 2019-20 were prepared on the prescribed formats as contained in the Fund Rules. The accounts of the Commission are prepared in the shape of Receipt and Payment Account, Income & Expenditure Account and Balance Sheet mostly known as Double Entry System. The Annual Accounts are laid before the State Legislative Assembly after completion of audit in terms of requirement of Section 13(2) of the Act *ibid*.

Income & Expenditure A/C for the financial year 2019-20 :

Particulars	Current year Figures (in Rs.)	Particulars	Current year Figures (in Rs.)
Salary to staff	79,56,468.00	Interest on FD	11,26,324.00
Wages to staff	1,76,674.00	Interest received on Savings A/c	1,55,413.00
Medical Reimbursement	1,70,596.00	Misc. Receipt	3,62,280.00
Advertisement	47,319.00	Excess of Expenditure over Income	95,02,859.80
Printing & Stationery	12,637.00		
Maintenance of Office Equipments	51,008.00		
Electricity and Water Charges	61,670.00		

Bank Charges	424.80		
Entertainment expenses	11,458.00		
Rent, Rates and Taxes	37,131.00		
Rent office Building	11,11,982.00		
News papers, Books and Periodicals	6,361.00		
Vehicle Insurance A/c	31,872.00		
Vehicle R&M Expenses	4,70,426.00		
Travelling Expenses	11,418.00		
Telephone Expenses	53,957.00		
Petrol & Diesel Exp.	2,23,910.00		
Misc.	1,121.00		
Publication Expenses	6,350.00		
Postage and Telegram	40,000.00		
Office Expenses	41,678.00		
Inspection Expenses	67,537.00		
Professional and Special Services	3,06,179.00		
Depreciation	2,48,700.00		
Total	1,11,46,876.80	Total	1,11,46,876.80

Balance Sheet as on 31-3-2020:

Liabilities			Assets	
Particulars		Amount	Particulars	Amount
Capital			Fixed Assets	17,84,743.00
Opening Balance	4,00,46,014.55		(As per schedule attached)	
Less: Excess of Expenditure over Income	95,02,859.80	(4,95,48,874.35)		
Loan from State Govt.		7,70,00,000.00	Current Assets	2,56,66,382.65
			(as per schedule attached)	
Total		2,74,51,125.65	Total	2,74,51,125.65

(Figures are unaudited)

Annexure-A**Detail of employees posted against Sanctioned post as on 31.03.2020**

Sr. No.	Designation	Name
1.	Chairman	Dr. K.K. Katoch
2.	Member	Dr. S.P. Katyal
3.	Secretary	Mrs. Poonam
4.	Law Officer	Vacant
5.	Finance Officer	Sh. Vikas Verma
6.	Senior Assistant	Sh. Amit Katoch
7.	Clerk	Smt. Soma Negi
8.	Programmer	Smt. Kazal Sharma
9.	Steno Typist	Sh. Narender Kumar(Upto 3-2-2020)
10.	Junior Office Assistant (IT)	Sh. Vivek Thakur
		Miss Mamta Thakur
		Kumari Lata
11	Driver	Sh. Balak Ram
		Sh. Yugal Kishore
12	Peon	Sh. Brahma Nand
		Ram Dayal (Upto aug 2019)
13	Chowkidar	Sh. Bhim Singh

0kkf"kl d fj i kV!

2019-20



fgekpy in'k fu t h f'k{k.k lLFkku fofu;ked vk;kx
glih uLV fcfYMix] ch-lh-, l-] dxuk/kkj
Q:t &III, f'keyk&171009
%oc l kbV% www.hp.gov.in/hpperc

fo" k ; & l ph

Øe l i [; k	'kh" k' d	lk' B l i [; k
1.	प्रस्तावना एवम अधिदेश	32—33
2.	आयोग की संरचना	34—35
3.	कार्य एवं दायित्व	36—37
4.	अधिनियम का कार्यान्वयन	38—52
5.	विधिक मामले	53—60
6.	वित्तीय स्थिति	61—62
	अनुलग्नक	63

ÁLrkouk ,oe vf/kn'k §

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 की अधिनियम संख्या 15) की धारा 3 के अधीन राज्य में विनियामक तंत्र उपलब्ध कराते हुए तथा केन्द्र एवम् राज्य स्तरीय नियामक संस्थाओं के नियमन के अनुरूप राज्य के निजी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दाखिला, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, प्रसार कार्यक्रम के साथ-साथ इन संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हेतु समुचित मानक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग का गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) नियम, 2011 में सेवा शर्तें, निदेशात्मक शक्तियां, निधि संचालन, दण्ड आदि अधिनियम के कार्यान्वयन सम्बन्धी विभिन्न परिचालन पहलू शामिल किए गये हैं। वर्तमान समय में प्रचलित किसी अन्य विधि/कानून पर इस अधिनियम के अथवा इसके अन्तर्गत निहित नियम अथवा आदेश कोई असंगत प्रभाव नहीं डालेंगे।

विनियामक आयोग, निजी संस्थानों के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने हेतु सुविधा प्रदायक के रूप में कार्य कर रहा है तथा इस प्रक्रिया को व्यवस्थित करने व राज्य में निजी उच्च शिक्षा के लिए दृष्टिकोण निर्माण हेतु लगातार हितधारकों के सम्पर्क में है। आयोग के लगातार प्रयासों के कारण निजी विश्वविद्यालयों की पारदर्शिता में सुधार हुआ है व उनके द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमों, फीस, छात्र नामांकन, संकाय, बुनियादी संरचना, शैक्षणिक विनियम इत्यादि से सम्बन्धित सूचना वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक की गई है।

विनियामक आयोग की भूमिका तथा कार्य के सन्दर्भ में निम्नलिखित विधान, नियम तथा विनियम महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय हैं :-

- हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010: भारतीय गणतन्त्र के इक्सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा प्रख्यापित किया गया, जिसके अन्तर्गत राज्य में प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान तथा निजी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा तथा एतद् सम्बन्धी विषयों एवं आनुषंगिक मामलों के लिए समुचित मानक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विनियामक आयोग तथा विनियामक तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 तथा इसके अधीन बनाए गये नियम और विनियम।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानक स्थापित करना तथा उनका अनुरक्षण) विनियम, 2003।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम. फिल/पी.एच.डी. डिग्रियां प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 तथा इसके अधीन बनाए गये नियम एवं विनियम।
- अन्य राज्य/केन्द्रीय विनियामक निकायों के अधिनियम/नियम/विनियम, जिनके मानक एवं मापदण्ड निर्धारित किए गये हों, तथा जिनका सम्बन्ध उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से हो।

हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग, सरकार, केन्द्रीय विनियामक निकायों तथा संस्थानों के सहयोग से गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्न दृष्टिकोण परिकल्पित करता है :—

विधान की परिधि के भीतर उच्च शिक्षा विजन की प्राप्ति के दृष्टिकोण परिकल्पित विनियामक आयोग निम्नलिखित सार मूल्य स्थापित करने हेतु वचनबद्ध है :

- उच्च शिक्षा गुणवत्ता के प्रति शत—प्रतिशत वचनबद्धता।
- पारदर्शिता।
- सत्यनिष्ठा।

vk;kx dh Ijpuk %

vk;kx dk xBu-&हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या ईडीएन-ए-केए(3)-12/2009-एल दिनांक 28-06-2017 के द्वारा डॉ. के. के. कटोच को नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) की अवधि के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया व दिनांक 30-06-2017 को उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया। उसी प्रकार, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या ईडीएन-ए-केए(3)-12/2009-एल दिनांक 28-06-2017 के अन्तर्गत डॉ. एस. पी. कत्याल को नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) की अवधि के लिए आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया जिसका कार्यभार उन्होंने भी दिनांक 30-06-2017 को ग्रहण किया। वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल निम्नानुसार रहा :—

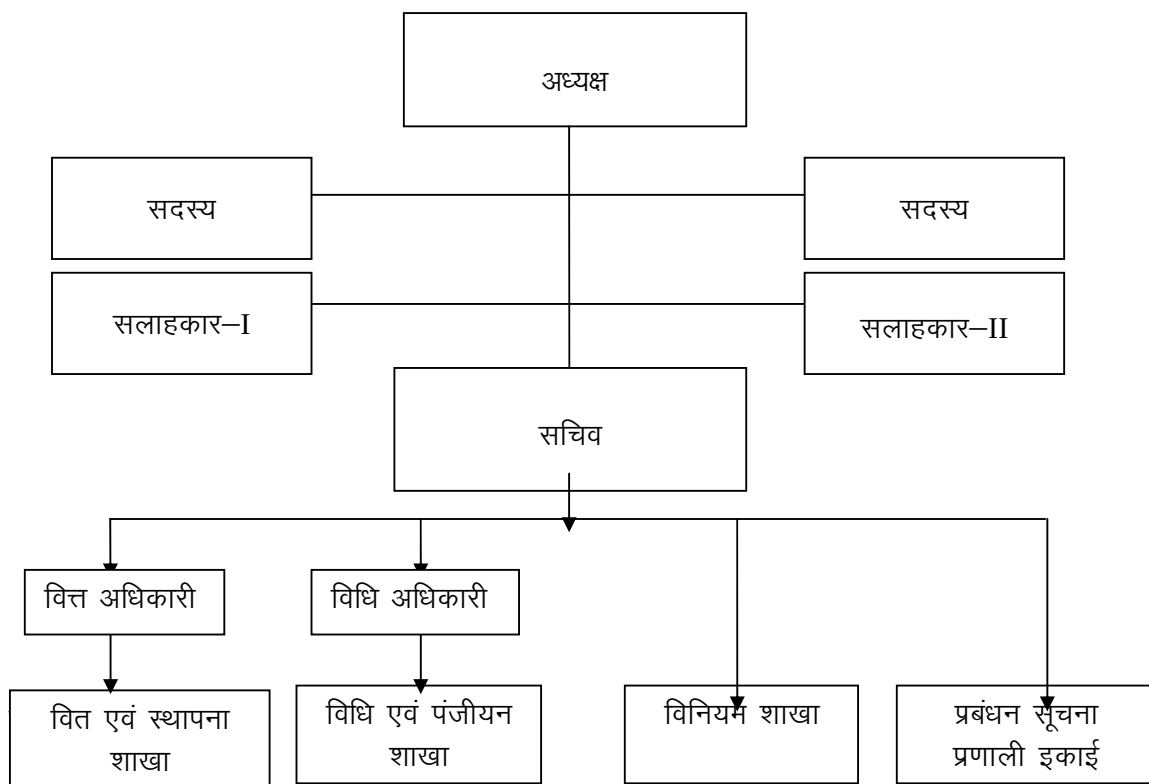
Øe I;[;k	i nuke	vf/kdkjh dk uke	vof/k	
			l;	rd
1.	अध्यक्ष	डॉ. के. के. कटोच	01-04-2019	31-03-2020
2.	सदस्य	डॉ. एस. पी. कत्याल	01-04-2019	31-03-2020
3.	सदस्य	रिक्त	01-04-2019	31-03-2020

vk;kx d LVkQ-&हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ई.डी.एन-ए-केए(3)-12/2009 दिनांक 20-07-2011 और संख्या ई.डी.एन-ए-केए(3)-12/2009 दिनांक 13-01-2012 तथा पत्र संख्या ई.डी.एन-ए-केए(3)-12/2009 दिनांक 25-08-2012 और पत्र संख्या ई.डी.एन-ए-केए(3)-12/2009 दिनांक 30-03-2013 के द्वारा प्रारम्भ में विभिन्न वर्गों के 28 पद सृजित किए गये। दिनांक 31-03-2019 को स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण vuy\ud&d जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

Øe I;[;k	ink dk oxl	LohÑr	Hkj x;	fjDr fLFkr (31&03&2020)
1.	अध्यक्ष	1	1	0
2.	सदस्य	2	1	1
3.	सचिव	1	1	0
4.	परामर्शदाता	2	0	2
5.	विधि अधिकारी	1	0	1
6.	वित्त अधिकारी	1	1	0
7.	निजी सचिव	1	0	1
8.	निजी सहायक	2	0	2

9.	प्रोग्रामर	1	1	0
10.	वरिष्ठ सहायक	2	1	1
11.	लिपिक	1	1	0
12.	स्टेनो टाइपिस्ट	1	1	0
13.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक	3	3	0
14.	चालक	3	3	0
15.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	4	1
16.	चौकीदार	1	1	0
	; kx	28	19	9

vk; kx dh I?kVukRed Ijpuk %



dk;l ,o nkf;Ro %

vk;kx dh 'kfDr;k ,o dÜk0;-&हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग को अधिनियम के तहत निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत किया गया है :-

- (1) आयोग का यह दायित्व होगा कि वह केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के विनियामक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित करेगा कि निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, प्रसार कार्यक्रम, योग्य अध्यापकों तथा आधारभूत संरचना के मानक अपनाए जा रहे हैं। निर्धारित मानक न अपनाए जाने की स्थिति में आयोग को ऐसे शिक्षण संस्थानों को अधिनियम की धारा 11 के अधीन दण्ड देने की शक्तियां प्राप्त होंगी। किसी संस्था द्वारा बार-बार गलती किए जाने की स्थिति में आयोग को ऐसी संस्था को बन्द किए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार/विनियामक निकाय को अपनी सिफारिशें भेजने का अधिकार होगा।
- (2) आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर दिया जा रहा है, किसी प्रकार की राष्ट्र-स्तरीय अथवा राज्य-स्तरीय अथवा किसी अन्य सामान्य परीक्षा की व्यवस्था न होने की स्थिति में योग्यता का निर्धारण सुनिश्चित रूप से अहर्कारी परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित होगा, राज्य सरकार द्वारा इसके लिए सूचनाएं समय-समय पर जारी की जा रही हैं।
- (3) आयोग विद्यार्थियों तथा माता-पिता से प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु यथोचित तंत्र विकसित करेगा तथा निजी शिक्षण संस्थानों को निर्देश देगा कि आयोग को भेजी गई शिकायतों के निवारण हेतु उचित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें। ऐसी शिकायतों का निवारण आयोग द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर किया जाएगा। एतद् सम्बन्धी किए गये उपायों का विस्तृत विवरण भी रखना होगा।
- (4) जब कभी भी आवश्यक हो, आयोग, निजी शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण कर सकता है तथा ऐसे निरीक्षण किसी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से भी करवाए जा सकते हैं।
- (5) आयोग को निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की संवीक्षा करने का भी अधिकार होगा।

vk;kx dh ÁfØ;k rFkk 'kfDr;k %

- (1) आयोग को निम्नलिखित मामलों में इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी जांच अथवा प्रक्रिया अपनाने के सम्बन्ध में वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो किसी सिविल न्यायालय को आचार दण्ड संहिता, 1908 (1908 की 5) के अधीन प्राप्त हैं :-
- (क) किसी व्यक्ति को बुलाने अथवा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा उससे शपथ दिलाकर पूछताछ करना।

- (ख) किसी दस्तावेज़ अथवा अन्य सामग्री को साक्ष्य के रूप में प्राप्त तथा प्रस्तुत करवाना
 - (ग) शपथ-पत्र के आधार पर साक्ष्य प्राप्त करना
 - (घ) किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड को मांगना
 - (ङ) गवाहों के परीक्षण हेतु आयोग के निर्देश (सम्मन) जारी करना
 - (च) अपने निर्णयों, निदेशों तथा आदेशों की समीक्षा करना
 - (छ) कोई ऐसा अन्य मामला जो विहित हो
- (2) आयोग को किसी कार्यवाही, सुनवाई अथवा मामले में अन्तरिम आदेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त होंगी, जो वह उचित समझे।
 - (3) आयोग अपनी कार्यवाही के दौरान विद्यार्थियों तथा माता-पिता के हितों की पैरवी करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है जिसे वह उचित समझे।
 - (4) इस अधिनियम के अधीन सभी विवादों का निर्णय आचार दण्ड संहिता, 1908 के आदेश XXXVII के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

n.Muh; 'kfDr §

- (1) अधिनियम के किसी उपबन्ध अथवा इसके अधीन निर्मित नियमों अथवा विनियमों अथवा आयोग द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना करने की स्थिति में आयोग दण्ड दे सकता है जैसा कि निर्धारित किया गया हो परन्तु ऐसे दण्ड की राशि एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी :

बशर्ते दूसरी बार अथवा बार-बार किए जाने वाले ऐसे उल्लंघनों की स्थिति में अधिकतम पांच करोड़ रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है :

इसके साथ ही यह भी उपबन्धित है कि सम्बन्धित संस्था को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना किसी भी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जायेगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन दिए गये दण्ड की राशि की वसूली सम्बन्धित शिक्षण संस्थान की स्थायी निधि अथवा किसी अन्य निधि से भू-राजस्व के बकाए के रूप में की जायेगी।

अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करते हुए आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी कार्य प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व का निर्वहन सुनिश्चित किया गया है।

vf/kfu;e dk dk;kUo;u %

विनियामक आयोग द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति एवं कार्यों के निर्वहन हेतु हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 9 के अधीन न केवल संस्था की स्थापना हेतु पहल की गई अपितु प्रदेश के निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में व्याप्त जटिल शैक्षिक परिदृश्य के दृष्टिगत कम से कम समय में विभिन्न विनियामक प्रावधानों को कार्यान्वित करके विनियमों/पद्धति को भी विकसित किया है। विनियामक आयोग के अन्तर्गत, किसी शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर, राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थान अर्थात् डिग्री कॉलेज, व्यवसाय से सम्बन्धित शिक्षा महाविद्यालय, प्रबन्धन, विधि, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फार्मेसी, पैरामैडिकल संस्थान एवं विश्वविद्यालय, विशिष्ट केन्द्र अथवा उच्च शिक्षा प्राप्ति से सम्बन्धित कोई भी अन्य शैक्षिक संस्थान शामिल हैं। विनियामक आयोग के क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य की 254 उच्च शिक्षा संस्थान हैं जिनमें 17 राज्य निजी विश्वविद्यालय तथा 13 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज सम्मिलित हैं। राज्य की निजी उच्च शिक्षण संस्थानों का भौगोलिक विभाजन निम्न प्रकार से है :-

31&03&2020 rd

ft yk	fo'ofok ky ;	vfHk; kf=dh egfo ky ;	lkC/ku egfo ky ;	,e- lH- , -	Qkje h	Lukrd egfo ky ;	t h- , u- , e- vkj ch- , l- lH- uf l x	Qkh- , M- vkj , e- , M-	t'o fokku egfo ky ;	nUr fpfdR l k	l efpdR l k	fof/k	l d'r egfo ky ;	dy
शिमला	1	0	0	0	0	5	7	9	2	0	0	1	3	28
चंबा	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	1	7
कांगड़ा	2	3	1	0	1	15	8	15	0	0	0	2	3	50
हमीरपुर	1	1	1	0	2	8	2	9	1	0	0	1	1	27
मण्डी	1	2	0	0	3	6	14	14	1	1	0	0	0	42
सिरमौर	1	3	1	1	2	4	3	4	1	1	0	2	0	23
ऊना	1	2	1	0	2	9	2	5	2	0	0	1	2	27
बिलासपुर	0	1	0	0	1	1	1	3	1	0	0	1	3	12
सोलन	10	1	0	0	2	7	5	8	2	2	1	1	1	40
किन्नौर	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
लाहुल एवं स्पीति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल्लू	0	0	0	0	1	1	3	2	0	0	0	0	2	9
;kX	17	13	4	1	14	57	48	72	10	4	1	9	16	266

उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में विनियामक मानक लागू करने की दिशा में विनियामक आयोग द्वारा वर्ष 2019-20 की अवधि में निम्नलिखित पहल की गई :-

1- ikB;Øe vueknu vkj 'k{kf.kd leh{k

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मई 2012 में हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग को पाठ्यक्रम अनुमोदन के लिए अधिकृत करते हेतु राज्य निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में एक संशोधन पेश किया। ऐसे अनुमोदन के लिए, सम्बन्धित वर्ष के 31 दिसम्बर तक इसे अनिवार्य बनाने के लिए एक अनुसूची का निर्धारण किया गया। राज्य के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के आशय से आयोग द्वारा अनुमोदनों के सम्बन्ध में विस्तृत शैक्षणिक समीक्षा की गई तथा ऐसे संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही की गई जिनके संकाय, संरचना इत्यादि में कमी पाई गई। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व स्थापित करने के उद्देश्य से विनियामक आयोग द्वारा निरन्तर अनुनय एवं समीक्षा उपरान्त अनुमोदित पाठ्यक्रमों, फीस, दाखिल किए गए छात्रों, संकाय, आधारभूत संरचना, अकादमिक विनियमन, पाठ्यक्रम, डिग्री प्रदान करने इत्यादि की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक करवाई गई।

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में राज्य के 17 निजी विश्वविद्यालयों द्वारा डिप्लोमा/स्नातक स्तर की पढ़ाई/स्नातक/स्नातकोत्तर/अनुसंधान कार्यक्रमों/अभियांत्रिकी शिक्षण तथा प्रबंधन/विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/विधि/औषधि निर्माण आदिय पाठ्यक्रम चलाए गए, जिनका विवरण निम्नलिखित है :-

Øe l[;k	'k{kf.kd dk;Øe	dly
1.	स्नातक	114
2.	स्नातकोत्तर	91
3.	अनुसंधान	60
4.	अन्य डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	27
dly		292

वर्तमान में चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के साथ-साथ नए पाठ्यक्रमों का अनुमोदन निम्न शर्तों एवं दिशा-निर्देश के आधार पर दिया गया :-

- (1) पाठ्यक्रमों के अनुमोदन इस शर्त पर दिये जाते हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को 30 मई 2019 तक संकाय और भौतिक शैक्षणिक बुनियादी ढांचे की पुष्टि की जानी चाहिए। इसके बाद निरीक्षण समिति द्वारा सत्यापन कर आयोग को रिपोर्ट दी जाएगी व जिन विश्वविद्यालय में संकाय और अवसंरचना की कमी पाई जाएगी उनके पाठ्यक्रमों को रद्द समझा जाएगा और भविष्य में इस संदर्भ में किसी भी प्रकार के प्रत्याचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (2) विश्वविद्यालय अपनी विवरण-पत्रिका में छात्रों, आम जनता और राज्य सरकार की जानकारी के लिए निम्नलिखित जानकारी इंगित करेगा :-
- (क) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध संकाय के नाम और उनका शैक्षणिक जीवन वृत्तांत।
 - (ख) भौतिक शैक्षणिक आधारभूत संरचना का विवरण-पत्रिका में उल्लेख होना अनिवार्य है।
 - (ग) पाठ्यक्रम के अनुसार अनुमोदित की गई सीटें जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग और हिमाचली उम्मीदवारों या खेल और कश्मीर प्रवासियों आदि जैसी अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों को इंगित किया गया हो।
 - (घ) लेटरल एंट्री में सीटों की उपलब्धता के बारे में विशेष रूप से उल्लेख करना।
 - (ङ) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत शुल्क संरचना।
 - (च) छात्रवृत्ति योजना का ब्यौरा, यदि कोई हो।
 - (छ) प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि और पाठ्यक्रम संरचना।
 - (ज) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश मानदंड।

विश्वविद्यालय विवरण-पत्रिका 2019-20 की एक प्रति शैक्षणिक सत्र 2019-20 प्रारम्भ होने से पहले आयोग/राज्य सरकार को प्रदान करेगा। उपर्युक्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें अध्यापकों का ब्यौरा उनकी तस्वीरों और शैक्षणिक जीवन-वृत्तांत के साथ दर्शित होना चाहिए। दाखिले का विवरण, परीक्षा कार्यक्रम, उत्तीर्ण छात्र, संकाय और शैक्षणिक आधारभूत संरचना आदि के बारे में जानकारी समय-समय पर विनियामक आयोग को वांछित तरीके से जैसे कि अपेक्षित है प्रस्तुत करनी होगी।

- (3) यदि किसी पाठ्यक्रम को चलाने के लिए किसी भी केंद्रीय/राज्य नियामक संस्था, केंद्र/राज्य सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता है तो आयोग को 30 मई 2019 उपरोक्त अनुमोदन की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाए अन्यथा उक्त पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) को रद्द समझा जाएगा।
- (4) यदि विश्वविद्यालय संकाय और भौतिक आधारभूत मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ है और विश्वविद्यालय का मानना है कि वे किसी विशेष पाठ्यक्रम को चलाने में असमर्थ है तो इसकी सूचना आयोग को शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले कम से कम एक महीने पहले दी जाएगी। हालांकि, एक बार शुरू होने वाले पाठ्यक्रमों को लगातार कम से कम तीन साल तक चलाना अनिवार्य होगा और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के मानदंडों के अनुसार अनुमोदित की गई सीटों के अनुसार पूर्ण संकाय शक्ति और शारीरिक शैक्षणिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
- (5) उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्यता और प्रवेश मानदंड सम्बन्धित नियामक निकाय और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पहले वर्ष में माइग्रेसन के माध्यम से पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले प्रवेश को अमान्य माना जाएगा और हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के नियम, 2011 के अनुसार दंडित किया जाएगा।

- (6) विदेशी छात्रों के प्रवेश को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की अधिसूचना संख्या एफ. 37-3/विधि/2004 दिनांक 21-01-2004 जो आयोग के पत्र संख्या एच.पी.पी.ई.आर.सी. /55/सामान्य शिकायतें/2012-704 से 719 दिनांक 07-08-2014 के माध्यम से सभी राज्य निजी विश्वविद्यालयों को प्रसारित की गई, के आधार पर विनियामित होगी।
- (7) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रबंधन संस्था द्वारा कराए गए किसी भी प्रवेश परीक्षा को मान्यता नहीं दी जाएगी।
- (8) Lateral Entry दाखिले के सम्बन्ध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परि के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्ण रूप से किया जायेगा।
- (9) दिव्यांग व्यक्तियों को सभी पाठ्यक्रमों में 3% आरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों जो इस आयोग के पत्र संख्या एच.पी.पी.ई.आर.सी./73/अधिसूचना/2012-952 से 967 दिनांक 08-09-2014 प्रसारित किया गया, का भी सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए।
- (10) निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए किए गए कोई भी दाखिले अमान्य होंगे और हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के अधिनियम, 2010 में निहित प्रावधानों को आकर्षित करेंगे। इसके बारे विश्वविद्यालय के प्रोस्पेक्टस में भी इसका विवरण शामिल किया जाना चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार की कानूनी समस्याओं से बचा जा सके।
- (11) विश्वविद्यालय को वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार राज्य सरकार को शुल्क निर्धारण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे प्रस्ताव की एक प्रति हमेशा आयोग को भेजी जानी चाहिए।
- (12) विश्वविद्यालय "उच्च शिक्षा संस्थानों के अनिवार्य आकलन और मान्यता" विनियमन, 2012 का अनुपालन करेगा।
- (13) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और रख-रखाव) विनियम, 2003 का सख्ती से पालन करेगा और नियामक निकायों अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/भारतीय विधिज्ञ परिषद्/भारतीय चिकित्सा परिषद्/भारतीय फार्मसी परिषद्/भारतीय नर्सिंग परिषद्/ भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् इत्यादि द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार संकाय निर्धारित करेगा। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम/कार्यक्रम डिग्री के अनुदान के लिए निर्देशों और निर्धारित मानदंडों के सभी मानकों का पालन करेगा जो एक विधिवत योग्य शिक्षण स्टाफ और निर्धारित शैक्षणिक भौतिक आधारभूत सुविधाओं द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (14) यू.जी.सी. (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना व मानकों का अनुरक्षण) अधिनियम, 2003 की धारा 3.7 व 3.8 के अंतर्गत विश्वविद्यालयों से अपेक्षित सूचना यू.जी.सी. को प्रस्तुत करने के लिए सुनिश्चित करेगा व अन्य बातों के साथ-साथ नए पाठ्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व यू.जी.सी. को छह माह पूर्व सूचना प्रदान करनी आवश्यक होगी। जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जांच

अतिदेय है, विश्वविद्यालय सुनिश्चित करेगा कि इस सन्दर्भ में यूजीसी. को निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सूचना शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करे ताकि निरीक्षण किया जा सके।

(15) यदि कोई ऐसे कोर्स(ओं), डिग्री(यों), पाठ्यक्रम(मों) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे हैं या गये थे जोकि यूजीसी/अन्य नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित नहीं थे या हैं ऐसे सभी कोर्स(ओं), डिग्री(यों), पाठ्यक्रम(मों) को बिना किसी नोटिस दिए रद्द समझा जाएगा और भविष्य में इस संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(16) विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई कोई सूचना यदि किसी स्तर पर गलत पाई जाती है अथवा किसी प्रकार के पाठ्यक्रम के लिए संकाय व अधोसंरचना को पूरा करने से सम्बन्धित दिए गए आश्वासन अथवा प्रवेश प्रक्रिया के मानकों का उल्लंघन होता है या स्वीकृत शुल्क से अधिक अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जा रहा हो अथवा ऐसी कार्यप्रणाली, जो निर्धारित विनियम के अनुरूप नहीं होगी, ऐसे मामलों में आयोग को स्वीकृति को वापस लेने अथवा ऐसा निर्णय लेने का अधिकार होगा, जो आयोग उचित समझे।

'k{kf.kd l= 2019&20 d nkjku iR;d futh fo'ofokky; }kjk pyk; tk jg ikB; Øek dh fLFkfr rFkk nkf[ky fd, x; Nk=k dk fooj.k %&

Øe l; k	fo'ofokky; dk uke	Lohdr lhV		nkf[ky fd; x; Nk=				dy Nk=
		vfHk-	vU;	vfHk-	, y- b-	vU;	, y- b-	
1.	ए. पी. जी. विश्वविद्यालय, शिमला	528	1548	236	32	616	2	886
2.	अभिलाषी विश्वविद्यालय, मण्डी	60	946	10	0	426	5	441
3.	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, सोलन	371	1561	76	14	725	6	821
4.	अर्नी विश्वविद्यालय, कांगड़ा	388	1263	35	15	187	0	237
5.	बढ़ी विश्वविद्यालय, सोलन	492	889	101	10	423	4	538
6.	बाहरा विश्वविद्यालय, सोलन	312	938	72	11	355	0	438
7.	कॅरियर प्वाँइट विश्वविद्यालय, हमीरपुर	239	2184	68	7	772	43	890
8.	चितकारा विश्वविद्यालय, सोलन	651	505	443	22	233	0	698
9.	इटरनल विश्वविद्यालय, बड़ू साहिब, सिरमौर	173	1276	8	0	417	0	425
10.	आई. ई. सी. विश्वविद्यालय, सोलन	306	2010	153	11	1091	2	1257

11.	इंडस इंटरनैशनल विश्वविद्यालय, ऊना	4	727	52	2	139	9	202
12.	जे. पी. विश्वविद्यालय, सोलन	0	1160	482	16	0	0	498
13.	मानव भारती विश्वविद्यालय	0	1160	0	0	545	6	551
14.	एम. एम. विश्वविद्यालय, सोलन	0	696	306	0	7	0	313
15.	शूलिनी विश्वविद्यालय, सोलन	570	2199	360	21	1241	6	1628
16.	श्री साई विश्वविद्यालय, पालमपुर	240	1169	26	10	280	6	322
17.	इकफाई विश्वविद्यालय, सोलन	240	726	4	1	215	0	220
	dy	4808	19797	2432	172	7672	89	10365

नोट.—अभि. = अभियांत्रिकी, एल.ई. = लेटरल एंट्री

2- futh f'k{k.k lLFkkuk e nkf[kyk gr| ekun.M %

हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 में प्रावधान किया गया है कि निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर दिया जाए। किसी प्रकार की राष्ट्र स्तरीय अथवा राज्य स्तरीय अथवा किसी अन्य सामान्य परीक्षा की व्यवस्था न होने की स्थिति में योग्यता का निर्धारण सुनिश्चित रूप से अहर्कारी परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित होगा। अतः प्रवेश मानदंडों, विशेषरूप से व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश विनियमित करने तथा राज्य में एक समान प्रतितुलनीय प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि सभी प्रकार के तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश स्तरीय योग्यताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्थापित मानदंडों से कम नहीं होगी तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय को निर्देश दिए गये कि इस आवश्यकता को पहले ही अपनी वैबसाईट तथा आगामी शैक्षणिक सत्र की विवरण-पत्रिका में अधिसूचित करें।

3- ,d leku 'k{kf.kd d'yl.Mj %

विनियामक आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुसार सिमेस्टर अवधि सहित एक समान शैक्षणिक कैलेण्डर का अनुसरण करती हों जिसके अनुसार (प्रत्येक सिमेस्टर के लिए 90 शिक्षण दिवस) जुलाई से दिसम्बर तथा जनवरी से जून जो कि परामर्श प्रक्रिया के बाद अपनाया गया है तथा राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालय प्रत्येक

सिमिस्टर के आरम्भ में दो समान किस्तों में फीस वसूल करेंगे तथा शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने से पूर्व पाठ्यक्रम/फीस सम्बन्धी अनुमोदन निर्धारित समय सीमा के भीतर अग्रिम रूप में तय करेंगे।

4- f'kdk; r fuokj.k ॥

विद्यार्थियों एवं माता-पिता की शिकायतों का निवारण विनियामक आयोग के कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा सामान्य जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है तथा इसकी विज्ञप्ति समय-समय पर प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी जारी की जाती है।

इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों तथा माता-पिता को जागरूक करने के लिए प्रत्येक संस्थान में जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड भी लगाए गये हैं। इसके साथ-साथ, विनियामक आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत प्राप्त करने के उद्देश्य से, एक 'एप्लिकेशन' स्थापित की गई है जहां शिकायत ऑनलाइन पंजीकृत की जा सकती है और आवेदक को बिना कार्यालय में आये, अधिनियम एवं नियमानुसार समुचित कार्यवाही से अवगत करवाया जाता है।

2019-20 में अभिभावकों और छात्रों तथा शिक्षकों से मिली शिकायतों की जांच के बाद विनियामक आयोग द्वारा विभिन्न निजी संस्थानों द्वारा मानदंडों के उल्लंघन के लिए, e- 11[85]203@& वापिस करने के आदेश दिये गये। विवरण निम्नानुसार है :

Ø I:-	f'kdk; r drk dk uke	f'kdk; r@mYy?ku dh i:df	I:Lfku dk uke	Okkfi I dh xbl j'kf'k	fnukd
1.	विजय कुमार	प्रतिभूति राशि की वापसी।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	09.04.2019
2.	साहिल बरित्या	प्रतिभूति राशि की वापसी।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	09.04.2019
3.	तरुण राणा	प्रतिभूति राशि की वापसी।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	09.04.2019
4.	अनमोल नाग	शुल्क की वापसी	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	09.04.2019
5.	अतुल भाटिया	शुल्क की वापसी	बाहरा विश्वविद्यालय	10,000	09.04.2019
6.	अंजु गुलेरिया	प्रतिभूति राशि की वापसी।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	09.04.2019
7.	रितेश शर्मा	वेतन की वापसी	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	09.04.2019
8.	करण कुमार	शुल्क की वापसी	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	09.04.2019

9.	अनिकेत ठाकुर	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	बाहरा विश्वविद्यालय	5,000	14.02.2019
10.	रोबिन शर्मा	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	ग्रीन हिल्स इंजीनिरिंग कॉलेज, सोलन	4,000	27.02.2019
11.	प्रियंका पाटियाल	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	24.04.2019
12.	स्वाति सिंह	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	24.04.2019
13.	किरण कुमारी	शुल्क की वापसी	आस्था कॉलेज ऑफ एजुकेशन	10,000	24.04.2019
14.	मिनल ठाकुर	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	ग्रीन हिल्स इंजीनिरिंग कॉलेज, सोलन	10,000	24.04.2019
15.	मोहित डोगरा	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	एल आर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट	10,000	24.04.2019
16.	श्री विनय कुमार	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	ग्रीन हिल्स इंजीनिरिंग कॉलेज, सोलन	10,000	24.04.2019
17.	गौरव शर्मा	इंडस इंटरनेशनल युनिवर्सिटी	इंडस इंटरनेशनल युनिवर्सिटी	1,62,827	11.06.2019
18.	श्री आशुतोष नेगी	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	21.06.2019
19.	आंचल शर्मा	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	21.06.2019
20.	अंकुश शर्मा	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	21.06.2019
21.	चिराग कश्मीरी	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	21.06.2019
22.	आकाश भगतिअ	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	23.05.2019
23.	राजेश कुमार	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	21.06.2019
24.	अपर्णा	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	21.06.2019

25.	निकिता शर्मा	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	बाहरा विश्वविद्यालय	10,000	23.05.2019
26.	संजय कुमार	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	ग्रीन हिल्स इंजीनिरिंग कॉलेज, सोलन	5,000	28.06.2019
27.	अजय ठाकुर	वेतन की वापसी	के.सी. पॉलिटेक्निक	13,600	19.06.2019
28.	संतोष कुमार	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	बाहरा विश्वविद्यालय	5,000	28.06.2019
29.	प्रवेश कुमार	अतिरिक्त शुल्क की वापसी	बाहरा विश्वविद्यालय	8577	28.06.2019
30.	सुलक्षणा ठाकुर	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	19.09.2019
31.	निशांत गुलेरिया	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	बाहरा विश्वविद्यालय	5,000	28.06.2019
32.	शिवानी ठाकुर	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	बाहरा विश्वविद्यालय	7,000	28.06.2019
33.	पंकज शर्मा	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	19.09.2019
34.	रशमी सिंह	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	बाहरा विश्वविद्यालय	6,600	28.06.2019
35.	सचिन गोस्वामी	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	21.06.2019
36.	भावना शर्मा	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	बाहरा विश्वविद्यालय	6500	28.06.2019
37.	नविता शर्मा	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	21.06.2019
38.	शुभम पडदा	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	21.06.2019
39.	शुभम पाटिल	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	श्री साई विश्वविद्यालय	9,500	21.06.2019
40.	प्रिया	प्रतिभूति राशि की वापसी ।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	21.06.2019

41.	संदेश शाह	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	बाहरा विश्वविद्यालय	10,000	28.06.2019
42.	लाल सिंह ठाकुर	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	19.09.2019
43.	मनिषा शर्मा	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019
44.	अंकित व्यास	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019
45.	पंकज व्यास	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	19.09.2019
46.	मनिष पठानिया	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019
47.	नवदीप गुलेरिया	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019
48.	दुष्यंत सिंह	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	ग्रीन हिल्स कॉलेज	4000	15.11.2019
49.	दिपांशु डोगरा	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019
50.	निखिल संघा	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019
51.	रोहित छानेल	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	7,625	15.11.2019
52.	संगीता ठाकुर	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019
53.	रीशी गौतम	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019
54.	शुभम डोगरा	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019
55.	गुरमीत सिंह	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019
56.	प्रिया चौधरी	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019

57.	संदीप कोटी	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019
58.	नेहा शर्मा	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019
59.	शिवानी पठानिया	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019
60.	अंशुल चंदेल	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019
61.	रमामरती	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019
62.	शिवानी चौधरी	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019
63.	अजय राजपूत	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	ग्रीन हिल्स इंजीनिरिंग कॉलेज, सोलन	2000	15.11.2019
64.	अनिल कुमार	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	ग्रीन हिल्स इंजीनिरिंग कॉलेज, सोलन	4000	28.08.2019
65.	निखिल शर्मा	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	ग्रीन हिल्स इंजीनिरिंग कॉलेज, सोलन	4000	28.08.2019
66.	प्रकाश डोगरा	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019
67.	नेहा आनंद	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019
68.	निखिल चौहान	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	ग्रीन हिल्स इंजीनिरिंग कॉलेज, सोलन	4000	18.08.2019
69.	कनिका गोयल	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	ग्रीन हिल्स इंजीनिरिंग कॉलेज, सोलन	2000	18.08.2019
70.	मुनिष शर्मा	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	ग्रीन हिल्स इंजीनिरिंग कॉलेज, सोलन	4000	18.08.2019
71.	नरेश कुमार	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	15.11.2019
72.	आदित्य कौशल	प्रतिभूति वापसी ।	राशि की	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	19.11.2019

73.	भरत भुषण	प्रतिभूति राशि की वापसी।	इंडस इंटरनेशनलस यूनिवर्सिटी	1,85,099	30.12.2019
74.	आकाश मोर्या	प्रतिभूति राशि की वापसी।	सेलन होम्योपैथीक मेडिकल कॉलेज	1,56,875	02.12.2019
75.	जगदेव सिंह रेटका	प्रतिभूति राशि की वापसी।	ईटरनल यूनिवर्सिटी	8000	04.12.2019
76.	विक्की भारद्वाज	प्रतिभूति राशि की वापसी।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	06.02.2020
77.	वरुण पठानिया	प्रतिभूति राशि की वापसी।	श्री साई विश्वविद्यालय	10,000	20.02.2019
78.	शेलजा शर्मा	प्रतिभूति राशि की वापसी।	बाहरा विश्वविद्यालय	7000	12.12.2019
79.	दिक्षा शर्मा	प्रतिभूति राशि की वापसी।	बाहरा विश्वविद्यालय	7000	12.12.2019
80.	ममता शर्मा	प्रतिभूति राशि की वापसी।	बाहरा विश्वविद्यालय	5000	12.12.2019
81.	अंशुल धीमान	प्रतिभूति राशि की वापसी।	ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज, सोलन	6000	18.11.2019

5- वक्तव्य की प्रतिलिपि ;

विनियामक आयोग को स्वतंत्र : वित्ततंत्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। अतः आयोग द्वारा हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 8(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हि.प्र. निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 9 के अधीन उसे सौंपे गये कार्यों के निर्वहन तथा उद्देश्यों की पूर्ति के सम्बन्ध में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य में स्थापित निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त की जाने वाली कुल फीस (वापिस की जाने वाली प्रतिभूति राशि को छोड़कर) का 1% भाग विनियामक आयोग द्वारा स्थापित निधि में जमा करने हेतु विनियम अधिसूचित किए गये हैं। हालांकि, यह विषय भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 8(ए), जो विनियामक आयोग के निधि से सम्बन्धित है को माननीय न्यायालय के आदेश तक स्थगित किया गया है। अतः विनियामक आयोग के वित्तीय व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार से सहायता राशि बतौर ऋण के प्राप्त की जा रही है। वित्त वर्ष

2019-20 के दौरान आयोग को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 17.01.2020 को मु0 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता बतौर ऋण के रूप में प्राप्त हुई।

6- fujh{k.k %

हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 9 (4) के अधीन संस्थानों द्वारा प्रवेश के मानक, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, संकाय तथा संरचना केन्द्र/राज्य विनियामक निकायों द्वारा स्थापित मानदण्डों तथा/अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिनियम/विनियमों के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य की निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए विनियामक आयोग द्वारा “निरीक्षण सारणी” अधिसूचित की गई है। ऐसे निरीक्षण, आयोग द्वारा स्वयं अथवा इस प्रयोजन हेतु समय-समय पर गठित ‘विशेषज्ञ समिति’ के माध्यम से किए जाते हैं। इस सम्बन्ध में वर्ष 2019-20 के दौरान विनियामक आयोग द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं का निरीक्षण किया गया :

Øe Ii[;k	IiLFkku dk uke	fujh{k.k dh frfFk
1.	ए. पी. जी. विश्वविद्यालय	11/07/2019 &12/07/2019
2.	बाहरा विश्वविद्यालय	15/07/2019 &16/07/2019

7- Iipuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 dk dk;kUo;u%

वर्ष 2019-20 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के लिए विनियामक आयोग द्वारा निम्नलिखित जनसूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी अधिसूचित किए गये :-

vof/k	Ukke	i nuke	njHkk" k l i [; k
			कार्यालय
	v i h y h ; v f / k d k j h		
01.04.2019 to 13.08.2019	श्री एस. डी. नेगी	सचिव	0177-2673663
14.08.2019 to 27.11.2019	श्रीमती पूनम	सचिव	0177-2673663
28.11.2019 to 19.02.2020	डॉ के. के कटोच	अध्यक्ष	0177-2673665

20.02.2020 to 31.03.2020	श्रीमती पूनम	सचिव	0177-2673663
01-04-2019 to 31-03-2019	श्री विकास वर्मा	वित्त अधिकारी	0177-2673664
	lgk;d tu lpuk vf/kdkjh		
01-04-2019 to 27-11-2019	श्री अमित कटोच	वरिष्ठ सहायक	0177-2673664
28-11-2019 to 31-03-2020	कुमारी लता	कनिष्ठ कार्यालय सहायक	0177-2673664

वर्ष 2019-20 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अधीन मांगी गई सूचना की स्थिति नीचे दी जा रही है :-

iklr vkonuk@vujk/kk dh l[;k	mRrj	gLrkrfjr	vihy
69	55	14	12

8- ikB;Øek di vueknu ij fo'ofokky; }kjk iLrfr %

वर्ष 2019-20 के दौरान, सभी राज्य निजी विश्वविद्यालयों को 15-11-2018 तक पाठ्यक्रम अनुमोदन के लिए प्रस्ताव जमा करने के लिए कहा गया और वांछित पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2019-20 के सम्बन्ध में सभी राज्य निजी विश्वविद्यालयों को पावर प्वाइंट प्रस्तुति देने के लिए कहा गया और यह निम्नलिखित तिथियों पर प्रस्तुत की गई :

Øe l[;k	lLFkku dk uke	iLrfr dh frfFk
1.	अभिलाषी विश्वविद्यालय	04.12.2018
2.	ए. पी. जी. विश्वविद्यालय	04.12.2018
3.	बददी विश्वविद्यालय	05.12.2018
4.	इकफाई विश्वविद्यालय	05.12.2018
5.	बाहरा विश्वविद्यालय	07.12.2018
6.	कॅरियर प्वाइंट विश्वविद्यालय	07.12.2018
7.	चितकारा विश्वविद्यालय	10.12.2018
8.	अर्नी विश्वविद्यालय	10.12.2018
9.	आई. ई. सी. विश्वविद्यालय	13.12.2018
10.	इंडस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय	13.12.2018
11.	महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय	14.12.2018
12.	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय	15.12.2018

13.	मानव भारती विश्वविद्यालय	15.12.2018
14.	शूलिनी विश्वविद्यालय	18.12.2018
15.	श्री साई विश्वविद्यालय	18.12.2018
16.	एटरनल विश्वविद्यालय	11.12.2018

पाठ्यक्रम अनुमोदन विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों, चर्चा व विश्लेषण एवम् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तथा सम्बन्धित निकाय द्वारा जारी दिशा-निर्देश व अपेक्षित मानदंड/नामकरण के आधार पर दिया गया।

fof/kd ekey

वर्ष 2019-20 के दौरान, विनियामक आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 11 के अन्तर्गत अधिनियम में किए गए प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों तथा विनियमों के उल्लंघन किए जाने पर दण्ड दिये जाने की व्यवस्था है, तथा हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2011 के नियम 6 तथा अधिनियम के नियम 15 की धारा 11 के अन्तर्गत न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा के लिए आर्थिक दंड निर्धारित किया गया।

o" 2019&20 di nkjku vk;kx e nk;j@fuiVku fd, x; ekeyk dh fLFkr dk C;kjk %&

Øe li[;k	dil u-@ iithdj.k fnukd	;kfpdkdrk	ifroknh	Ekkeyi dk 'kh"kd	fLFkr %fuiVku@ yfEcr½	fu.k; dh frfFk
1.	9 of 2018 02.05.2018	अजय कुमार पुत्र श्री पायर, घूमरली, पोस्ट ऑफिस ढो, तहसील भोरंज हमीरपुर	सी. पी. शर्मा प. गौरी शंकर मेमोरियल पोलटेक्नीक, एम. डी.आर.11, अर्की, सोलन 173208	अजय कुमार बनाम सी. पी. शर्मा प. गौरी शंकर मेमोरियल पोलटेक्नीक	निपटान	04.04.2019
2.	17 of 2018 08.11.2018	स्वाति पुत्री श्री जय पाल, गाँव हाटकोट, कुनिहार तहसील अर्की जिला सोलन हि.प्र 173208	ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज नाहन रोड, गांधीनगर, कुमारहट्टी, पोस्ट ऑफिस भोली हि.प्र. 173229	स्वाति बनाम ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज	निपटान	05.04.2019
3.	18 of 2018 03.12.2018	दीपशिखा और अन्य	बेल्ल इस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मेहली शिमला।	दीपशिखा और अन्य बनाम बेल्ल इस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मेहली शिमला।	निपटान	05.04.2019
4.	5 of 2019 04.04.2019	अमित कंवर	अर्नी विश्वविद्यालय	अमित कंवर बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	निपटान	30.04.2019
5.	6 of 2019 04.04.2019	भुपेंदर सिंह	अर्नी विश्वविद्यालय	भुपेंदर सिंह बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	निपटान	30.04.2019

Øe li[;k	dil u-@ iithdj.k fnukd	;kfpdkdrki	ifroknh	Ekkeyi dk 'kh"ki d	fLFkfr %fuiVku@ yfcrcr½	fu.k; dh frffk
6.	7 of 2019 04.04.2019	संदीप	अर्नी विश्वविद्यालय	संदीप बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	निपटान	30.04.2019
7.	8 of 2019 04.04.2019	किरण	अर्नी विश्वविद्यालय	किरण बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	निपटान	30.04.2019
8.	9 of 2019 04.04.2019	हरजीत सिंह	अर्नी विश्वविद्यालय	हरजीत सिंह बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	निपटान	30.04.2019
9.	10 of 2019 04.04.19	ओमकार सिंह	अर्नी विश्वविद्यालय	ओमकार सिंह बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	निपटान	30.04.2019
10.	11 of 2019 04.04.2019	निंशात	अर्नी विश्वविद्यालय	निंशात बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	निपटान	30.04.2019
11.	12 of 2019 04.04.19	नीतिन महाजन	अर्नी विश्वविद्यालय	नीतिन महाजन बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	निपटान	30.04.2019
12.	13 of 2019 04.04.2019	रमन लता गिल	अर्नी विश्वविद्यालय	रमन लता गिल बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	निपटान	06.05.2019
13.	14 of 2019 04.04.2019	सुरेंद्र पॉल	अर्नी विश्वविद्यालय	सुरेंद्र पॉल बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	निपटान	30.04.2019
14.	15 of 2019 04.04.2019	मनमोहन	अर्नी विश्वविद्यालय	मनमोहन बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	निपटान	30.04.2019
15.	16 of 2019 13.05.2019	विकास शर्मा	अर्नी विश्वविद्यालय	विकास शर्मा बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	लम्बित	--
16.	1 of 2019 18.01.2019	स्वतः संज्ञान	एपी गोयल शिमला विश्वविद्यालय	एपी गोयल शिमला विश्वविद्यालय	निपटान	21.06.2019
17.	17 of 2019 13.05.2019	हरीश बंगा	इंडस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय	हरीश बंगा बनाम इंडस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय	निपटान	31.08.2019
18.	18 of 2019 07.06.2019	गौरव दुबे	एपी गोयल शिमला विश्वविद्यालय	गौरव दुबे बनाम एपी गोयल शिमला विश्वविद्यालय	निपटान	18.10.2019

Øe li[;k	dil u-@ iithdj.k fnukd	;kfpdkdrki	ifroknh	Ekkeyi dk 'kh"ki d	fLFkfr ¼fuiVku@ yfEcr½	fu.k; dh frffk
19.	19 of 2019 24.06.2019	नंदिनी शर्मा	इटरनल यूनिवर्सिटी	नंदिनी शर्मा बनाम इटरनल यूनिवर्सिटी	निपटान	23.09.2019
20.	20 of 2019 24.06.2019	अंशुल छमोतरा	शूलिनी विश्वविद्यालय	अंशुल छमोतरा बनाम शूलिनी विश्वविद्यालय	निपटान	23.09.2019
21.	21of 2019 03.07.2019	प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज छात्र/अविभाव क संगठन	महार्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय, कुमारहट्टी सोलन	प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज छात्र/अविभा वक संगठन बनाम महाषि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय	लम्बित	-
22.	22 of 2019 03.07.2019	अलका कटारिया और अन्य	महार्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय, कुमारहट्टी सोलन	अलका कटारिया और अन्य बनाम महार्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय	लम्बित	--
23.	22(A) 2019 03.07.2019	सलोनी सिंह	महार्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय, कुमारहट्टी सोलन	सलोनी सिंह बनाम महार्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय	लम्बित	--
24.	23 of 2019 25.07.2019	वरुण शर्मा और अन्य	MNDV डेंटल कॉलेज सोलन	वरुण शर्मा और अन्य बनाम MNDV डेंटल कॉलेज सोलन	निपटान	23.09.2019
25.	15 of 2018 24.09.2018	सुष्मिता पुत्री श्री योगिन्द्र सिंह हाउस न. 185, दूसरी मंजिल प्रित विहार सनी साइड जिला सोलन 173212	वर्ल्ड हब एयर होस्टेस इंस्टिट्यूट सोलन हि.प्र 17321	सुष्मिता बनाम वर्ल्ड हब एयर होस्टेस इंस्टिट्यूट सोलन हि.प्र 17321	निपटान	30.09.2019
26.	24 of 2019 06.09.2019	अंकुश शर्मा	बाहरा युनिवर्सिटी	अंकुश शर्मा बनाम बाहरा युनिवर्सिटी	निपटान	01.10.2019

Øe li[;k	dil u-@ iithdj.k fnukd	;kfpdkdrki	ifroknh	Ekkeyi dk 'kh"ki d	fLFkfr ¼fuiVku@ yfEcr½	fu.k; dh frffk
27.	2 of 2019 26.02.2019	बेल्ल इस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मेहली शिमला।	श्री राकेश भण्डारी पिता श्री अभिनव भण्डारी, 41-E सराभा नगर लुधियाना	अभिनव भण्डारी बनाम बेल्ल इस्टीट्यूट	निपटान	21.01.2020
28.	25 of 2019 21.09.2019	स्वतः संज्ञान	इंडस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय	इंडस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय	निपटान	14.02.2020
29.	6 of 2018 22.03.2018	डॉ संजय सक्सेना	इंडस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय	डॉ संजय सक्सेना बनाम इंडस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय	निपटान	14.02.2020
30.	7 of 2018 29.03.2018	नीतिन कुमार, प्रियंका, तनुजा, कामिनी, नीना, वरुण, अंकुश, शिवानी, ओजस्वी, हरीश	श्री साई युनिवर्सिटी पालमपुर कांगडा	नीतिन कुमार, बनाम श्री साई युनिवर्सिटी	निपटान	14.02.2020
31.	26 of 2019 23.09.2019	S.C वर्मा	अर्नी विश्वविद्यालय	S.C वर्मा बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	लम्बित	-
32.	27 of 2019 23.09.2019	विजयता शर्मा	अर्नी विश्वविद्यालय	विजयता शर्मा बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	लम्बित	-
33.	28 of 2019 24.10.2019	पुजा ठाकुर	अर्नी विश्वविद्यालय	पुजा ठाकुर बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	लम्बित	-
34.	29 of 2019 24.10.2019	विकास शर्मा	अर्नी विश्वविद्यालय	विकास शर्मा बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	लम्बित	-
35.	30 of 2019 24.10.2019	गुरविंदर सिंह	अर्नी विश्वविद्यालय	गुरविंदर सिंह बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	लम्बित	-
36.	31 of 2019 24.10.2019	दिपाली	अर्नी विश्वविद्यालय	दिपाली बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	लम्बित	-
37.	32 of 2019 24.10.2019	विजय कुमार	अर्नी विश्वविद्यालय	विजय कुमार बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	लम्बित	-
38.	33 of 2019 24.10.2019	नरिंदर कुमार	अर्नी विश्वविद्यालय	नरिंदर कुमार बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	लम्बित	-

Øe li[;k	dil u-@ iithdj.k fnukd	;kfpdkdrki	ifroknh	Ekkeyi dk 'kh"ki d	fLFkfr ¼fuiVku@ yfEcr½	fu.k; dh frffk
39.	34 of 2019 24.10.2019	नीति कुमारी	अर्नी विश्वविद्यालय	नीति कुमारी बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	लम्बित	-
40.	35 of 2019 24.10.2019	नोविता पठानिया	अर्नी विश्वविद्यालय	नोविता पठानिया बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	लम्बित	-
41.	36 of 2019 24.10.2019	अनुजा चौहान	अर्नी विश्वविद्यालय	अनुजा चौहान बनाम अर्नी विश्वविद्यालय	लम्बित	-
42.	37 of 2019 24.10.2019	स्वतः संज्ञान	आईसीएफए विश्वविद्यालय	आईसीएफए विश्वविद्यालय	निपटान	10.12.2019
43.	38 of 2019 11.11.2019	गौरव दुबे	एपी गोयल शिमला विश्वविद्यालय	गौरव दुबे बनाम एपी गोयल शिमला विश्वविद्यालय	निपटान	06.02.2020
44.	39 of 2019 23.11.2019	नीतिन कुमार	बाहारा युनिवर्सिटी	नीतिन कुमार बनाम बाहारा युनिवर्सिटी	निपटान	26.12.2019
45.	40 of 2019 17.12.2019	स्वतः संज्ञान	मानव भारती विश्वविद्यालय	मानव भारती विश्वविद्यालय	निपटान	06.02.2020
46.	1 of 2020 15.02.2020	स्वतः संज्ञान	इंडस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय और मानव भारती विश्वविद्यालय	इंडस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय और मानव भारती विश्वविद्यालय	लम्बित	-
47.	2 of 2020 15.02.2020	संदीप धीमान और अन्य	श्री साई युनिवर्सिटी पालमपुर कांगडा	संदीप धीमान और अन्य बनाम श्री साई युनिवर्सिटी	लम्बित	-
48.	3 of 2020 21.03.2020	शुभम ठाकुर	एपी गोयल शिमला विश्वविद्यालय	शुभम ठाकुर बनाम एपी गोयल शिमला	लम्बित	-

माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश में अपील/सी.डब्ल्यू.पी. की स्थिति निम्नानुसार है :-

Øe li;k	d:l u-	Vkond	Áfroknñ	Ekkey dh i:Nfr	fLFkfr
1.	CWP No. 873/2019	शूलिनी विश्वविद्यालय	हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग व अन्य।	हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के आदेशों के खिलाफ	28/08/2019 को निपटाया गया
2.	CWP No. 15/2019	किरण देवी	हि. प्र. सरकार व अन्य	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	27/02/2019 को निपटाया गया
3.	CWP No. 16/2019	मनमोहन	हि. प्र. सरकार व अन्य	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	27/02/2019 को निपटाया गया
4.	CWP No. 17/2019	रमन लता गिल	हि. प्र. सरकार व अन्य	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	27/02/2019 को निपटाया गया
5.	CWP No. 18/2019	संदीप सलारिया	हि. प्र. सरकार व अन्य	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	27/02/2019 को निपटाया गया
6.	CWP No. 19/2019	संदीप सलारिया	हि. प्र. सरकार व अन्य	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित।
7.	CWP No. 20/2019	अमित कुमार	हि. प्र. सरकार व अन्य	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	27/02/2019 को निपटाया गया
8.	CWP No. 21/2019	सुरेंद्र पौल	हि. प्र. सरकार व अन्य	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	27/02/2019 को निपटाया गया
9.	CWP No. 22/2019	नीतिन महाजन	हि. प्र. सरकार व अन्य	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	27/02/2019 को निपटाया गया
10.	CWP No. 23/2019	हरजीत सिंह कैथ	हि. प्र. सरकार व अन्य	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	27/02/2019 को निपटाया गया
11.	CWP No. 24/2019	ओमकार सिंह	हि. प्र. सरकार व अन्य	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	27/02/2019 को निपटाया गया
12.	CWP No. 25/2019	भूपिंदर सिंह	हि. प्र. सरकार व अन्य	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	27/02/2019 को निपटाया गया
13.	Civil Suit 200/19	सुनीता	UGC व अन्य	संस्थान/छात्रों के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित।
14.	CWP No. 1797/2019	बद्दी युनिवर्सिटी	हि. प्र. सरकार व अन्य	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	27/02/2019 को निपटाया गया

15.	CWP No. 1410/2019A	रविकांत तिवारी	हि. प्र. सरकार व अन्य	संस्थान/छात्रों के खिलाफ	26/02/2019 को निपटाया गया
16.	CWP No. 1813/2019	डॉ निशा शर्मा	अध्यक्ष, हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित।
17.	CWP No. 1829/2019	पुनीत शर्मा	अध्यक्ष, हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित।
18.	CWP No .1898/2019	डॉ सारिका शर्मा	अध्यक्ष, हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित।
19.	CWP No. 1931/2019	विकास शर्मा	अध्यक्ष, हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित।
20.	CWP No. 1965/2019	विवेक धीमान	अध्यक्ष, हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित।
21.	CWP No. 1966/2019	बलबिंदर कुमार	अध्यक्ष, हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित।
22.	CWP No. 1967/2019	अनुराग राणा	अध्यक्ष, हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित।
23.	CWP No. 1968/2019	चौदनी शर्मा	अध्यक्ष, हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित।
24.	CWP No. 1969/2019	नेहा मितल	अध्यक्ष, हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित।
25.	CWP No. 1970/2019	डॉ एकता	अध्यक्ष, हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित।
26.	CWP No. 1996/2019	अनुराग राणा	अध्यक्ष, हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित।

27.	CWP No. 1997/2019	डॉ निशा शर्मा	अध्यक्ष, हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित।
28.	CWP No. 1998/2019	डॉ एकता	अध्यक्ष, हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित।
29.	CWP No. 1999/2019	सुरेंद्र पॉल	अध्यक्ष, हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित।
30.	CWP No. 2000/2019	निशांत	अध्यक्ष, हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित।
31.	CWP No. 2435/2019-D	अनु बाला	हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित।
32.	CWP No. 2001/2019	नीतिन महाजन	अरनी युनिवर्सिटी	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित।
33.	CWP No. 2453/2019	रमन कुमार	अरनी युनिवर्सिटी	विश्वविद्यालय वेतन बलपूर्वक हटाने के खिलाफ	हि. प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित।
34.	CWP No. 3573/2019	अमित कटोच व अन्य	हि. प्र. सरकार व अन्य	वापस लिया गया	6/01/2020 को निपटाया गया

3- न.म.त.के.क. वर्ष 2019-20 के दौरान, अरनी विश्वविद्यालय को मानदंडों में उल्लंघन के लिए मु. 3,30,000/- का जुर्माना लगाया गया। अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन जारी नहीं करने के लिए उक्त प्रतिवादी विश्वविद्यालय की गलती के लिए इस आयोग को अनावश्यक मुकदमों में शामिल करने के लिए।

foUkh; fLFkfr %

विनियामक आयोग की परिकल्पना एक स्वतः वित्तपोषण तंत्र के रूप में की गई है। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 8 (क) के अधीन आयोग को अपने विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त कुल फीस पर 1% शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त है। यह जुर्माने से अलग है लेकिन मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है और इस मामले के अन्तिम परिणाम तक निजी शिक्षण संस्थानों से 1% शुल्क लेना स्थगित रखा गया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आयोग की प्रारम्भिक स्थापना हेतु वर्ष 2011-12 के दौरान मु० 70.00 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई। हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के अधिनियम, 2010 के प्रावधान के माध्यम से नियमित आय की अनुपस्थिति में आयोग को शुरुआत से लेकर आज तक मु. 7.70 crore करोड़ रुपये की राशि समय-समय पर ऋण के रूप में सरकार से प्राप्त हुई। आयोग के वर्ष 2019-20 के लेखे निधि नियमों में विहित प्रपत्रों पर तैयार किए गये हैं। आयोग के लेखे, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा तथा तुलनापत्र के रूप में तैयार किए जाते हैं। वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा के उपरान्त राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं जैसा कि अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन वांछित है।

o"ki 2019&20 dk vk; vkj 0; ; y:[kk

fooj.k	jkf'k %#i ; e%	fooj.k	jkf'k %#i ; e%
स्टाफ का वेतन	79,56,468.00	एफ. डी. पर ब्याज	11,26,324.00
स्टाफ की मजदूरी	1,76,674.00	बचत खाते पर ब्याज	1,55,413.00
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,70,596.00	विविध प्राप्तियां	3,62,280.00
विज्ञापन	47,319.00		
स्टेशनरी	12,637.00		
कार्यालय उपकरणों का रख-रखाव	51,008.00		
बिजली और जल प्रभार	61,670.00		
बैंक शुल्क	424.80		
विविध व्यय	11,458.00		
दर और कर	37,131.00		
समाचार-पत्र, किताबें एवं नियमित पत्रिकाएं।	11,11,982.00		
वाहन बीमा	6,361.00		

अन्य खर्च	1,121.00		
वाहन रख-रखाव	31,872.00		
यात्रा व्यय	4,70,426.00		
टेलीफोन प्रभार	11,418.00		
पी. ओ. एल. प्रभार	53,957.00		
प्रकाशन	2,23,910.00		
डाक एवं तार	6,350.00		
निरीक्षण प्रभार	40,000.00		
व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	41,678.00		
कटौती	67,537.00		
कार्यालय व्यय	3,06,179.00	आय से अधिक व्यय	95,02,859.80
मूल्यहास	2,48,700.00		
dly	1,11,46,876.80	dly	1,11,46,876.80

31/03/2020 rd dk riyuk&i=

nkf; Ro			ifj lEifUk;k	
fooj.k		jkf'k %i; e	fooj.k	jkf'k %i; e
पूंजी			अचल संपत्ति	17,84,743.00
अथशेष	4,00,46,014,55			
आय से अधिक व्यय	95,02,859.80	4,95,48,874,35		
राज्य सरकार से ऋण		7,70,00,000.00	चालू संपत्तियां	2,56,66,382.65
Total		2,74,51,125.65		2,74,51,125.65

(y:[kk ijh{kk d: fcuk vkdM)

Lohdr ink ij 31.03.2020 dk dk;jr vf/kdkfj;k ,o de;pkfj;k dh foojf.kdk

Øe li;k	lknk dk oxl	Ukke
1.	अध्यक्ष	डॉ. के. के. कटोच
2.	सदस्य	डॉ. एस. पी. कत्याल
3.	सचिव	श्रीमती पूनम
4.	विधि अधिकारी	रिक्त
5.	वित्त अधिकारी	श्री विकास वर्मा
6.	वरिष्ठ सहायक	श्री अमित कटोच
7.	लिपिक	श्रीमति सोमा नेगी
8.	प्रोग्रामर	श्रीमति काजल शर्मा
9.	स्टेनो टाइपिस्ट	श्री नरेंद्र कुमार फरवरी 2020 से पद रिक्त
10.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक	श्री विवेक ठाकुर
11.		सुश्री ममता ठाकुर
12.		कुमारी लता
13.	चालक	श्री बालक राम
14.		श्री युगल किशोर
15.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	श्री ब्रह्मा नंद
16.	चौकीदार	श्री भीम सिंह